5th Class

23. खुशी शहर आई



खुशी अपने माता—पिता, दादा—दादी, चाची और बुआ के साथ अपने गाँव सरयाँज में रहती है। गाँव में उनके पास बहुत से खेत, गाय—भैंस, भेड़, बकरियाँ एवं बैल हैं। वह सरयाँज की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में कक्षा पाँच की छात्रा है।

जबसे उसकी माता ने उससे कहा है कि पाँचवी के बाद वे उसे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाएंगे, तबसे वह पढ़ाई में और भी मेहनत करने लगी है। छुट्टियों में अक्सर वह अपनी छोटी बहन के साथ ननिहाल चली जाती है। पर इस बार छुट्टियों में वह अपने चाचा के पास सोलन रहेगी। उसके चाचा ने छुट्टियों में उसे सोलन ले जाने को कहा है।

जैसे ही खुशी का कक्षा पाँच का वार्षिक परिणाम आया तो घर के सभी सदस्य प्रसन्नता से फूले न समाए। क्योंकि वह कक्षा में प्रथम आई थी।

अगले ही दिन शनिवार को उसके चाचा सोलन से गाँव आए। अपने चाचा के साथ छुट्टियों में सोलन जाने की खुशी में खुशी रात भर सो भी नहीं पाई। दो दिन तक वह अपना सामान इकट्ठा करती रही। उसे पता ही नहीं लग रहा था कि वह अपने साथ क्या ले जाए, क्या छोड़े। अंत में उसकी माता ने उसके कपड़े पीट्ठू में डाले। उसकी छोटी बहन माँ को उसके कपड़े भरते देख उदास हो कभी अपनी माँ का मुँह ताक रही थी तो कभी अपनी बहन का।

- **७** बताओ :
- तुम्हारे गाँव / मुहल्ले में कितने घर हैं ?
- तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों एवं अध्यापकों से अपने भविष्य के लिए क्या परामर्श मिलते हैं ?
- तुम अपने स्कूल की छुट्टियों में कहाँ घूमने गए? वहाँ पर तुमने क्या—क्या देखा?

सोमवार को सुबह वाली बस से वह अपने चाचा के साथ सोलन चल पड़ी। रास्ते में अर्की, कुनिहार, सुबाथू आए। रास्ते भर वह हर चीज को बड़े गौर से देखती रही। अचानक बस कुनिहार, सुबाथू आए। रास्ते भर वह हर चीज को बड़े गौर से देखती रही। अचानक बस इग्रह्म ने ज्यों ही बस में गाने लगाए तो एक सवारी ने उसे स्टिरियो पर गाने लगाने से इग्रह्म विचा। तब खुशी को बुरा भी लगा, क्योंकि उसे वह गीत बहुत अच्छा लग रहा था। वह रास्ते भर सोचती रही कि ऐसा क्यों हुआ?

जब कोई गाड़ी उनकी बस के आगे से निकलती तो वह आँखें बंद कर लेती। जब बस् सुबाथू छावनी से गुजरी तो वहां सैनिकों को वर्दी में देख उसे बहुत अच्छा लगा। उन्हें देख उसके मन में विचार आया कि बड़ी होकर वह अवश्य सेना में भर्ती हो देश की सेवा करेगी।


७ सोचो तो :
तुम बड़े होकर क्या बनना पसंद करोगे और क्यों?
अगर तुम किसी सैनिक को जानते हो तो उसके बारे में लिखो—
चलती गाड़ी में गाने क्यों नहीं लगाने चाहिएं?
ज्यों ही बस सुबाथू से आगे निकली तो चीड़ के पेड़ों ने उसका स्वागत किया। चीड़ के पेड़ों को अपने साथ—साथ चलते देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था।

कुछ देर तक आड़े तिरछे मोड़ पार करने के बाद, कई गाड़ियों को पीछे छोड़ते उनकी बस सोलन बस स्टेशन पर ज्यों ही पहुँची तो बस में बैठी सवारियां अपना—अपना सामान उठा बस के दरवाजे के पास इकट्ठा होने लगीं। जिससे रास्ता बंद हो गया। यह देख बस के कंडक्टर ने ऊँची आवाज में कहा, "उतरना सबको है। अगर रास्ते में ही सब खड़े रहेगें तो उतरेगें कैसे?" तब कुछ लोग दरवाजे के पास से हट गए और दरवाजा खुलते ही सब एक—एक करके दरवाजे से बाहर निकलने लगे। वह भी अपने चाचा के साथ अपना पीट्ठू उठा कर बस से बाहर आ गई।



🚙 अपने से पूछो :

- चलती बस से हमें सिर बाजू बाहर क्यों नहीं निकालने चाहिए?
- हमें चलती बस से क्यों नहीं उतरना चाहिए?
- अपना—अपना काम स्वयं करने से हमें क्या लाभ होगा ?
- हमें बस में हमेशा किस तरफ से चढ़ना और उतरना चाहिए?
- अगर सभी लोग नियमों का पालन करें तो उसके क्या लाभ होंगे?



जैसे ही खुशी बस से उतरी तो बस स्टेशन पर गाड़ियों को देख हैरान रह गई। बाप रे! इतनी गाड़ियाँ!! इतनी गाड़ियाँ उसने पहली बार देखी थीं। यह देख उसने दाँतों तले उंगली दबा ली।

अभी वे बस से उतरे ही थे कि सामने उसे चाचा की बेटी मुस्कान मुस्कुराती हुई दिखाई दी तो उसकी जान में जान आई। उसकी बड़ी बहन सोलन में राजकीय महाविद्यालय में पढ़ती है। चाचा ने खुशी को मुस्कान के साथ छोड़ा और अपने दफ्तर चल दिए।

अपनी बड़ी बहन के साथ इधर— उधर की हर चीज को उत्सुकता से ताकती, उससे बातें करती वह मकान में पहुँच गई। वहाँ पहुँच खुशी ने नहाने के बाद भोजन किया। कुछ देर टीवी पर कार्टून फिल्म देखी। देर तक दोनों घर की ढेर सारी बातें करती रहीं।

दोपहर बाद मुस्कान खुशी को लेकर चिल्ड्रन पार्क घुमाने ले गई। उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। उसका मन उनके साथ खेलने को हुआ। ज्यों ही वह उस ओर रुक कर देखने लगी तो मुस्कान ने उसे रोकते हुए कहा, 'खुशी! जिस रास्ते पर गाड़ियाँ चलती हों उस रास्ते पर खेलना खतरे से खाली नहीं होता। इसी कारण कुछ बच्चे सड़क पर खेलते हुए दुर्घटना को बुलावा देते हैं, जो अच्छा नहीं। जहाँ खेल की जगह हो वहा खेलें तो खेल का भी आनंद आता है और हम सुरक्षित भी रहते हैं।'







अभी वे कुछ ही आगे निकले थे कि सामने उसे तीन रंगों की चमकती बित्तयाँ दिखाई दीं। कभी एक बत्ती कुछ देर जलती तो उसके बाद बुझ जाती। तब दूसरी बत्ती जलती। उनके साथ ही कुछ गाड़ियाँ रुक जातीं तो कुछ चलने लगतीं। खुशी अपनी

बहन से उनके बारे में पूछने ही वाली थी कि तभी उसकी बहन ने उसे बताया, ये जो लाल रंग की बत्ती तुम देख रही हो, यह रुकने का संकेत हैं। जब तक यह जलती रहती है तब तक उस ओर की गाड़ियाँ रुक जाती हैं। जब हरे रंग की बत्ती जली है तो तुमने देखा रुकी गाड़ियाँ उस ओर से चलने लगीं। और ये जो पील रंग की बत्ती तुम देख रही हो इसका अभिप्राय है कि जल्दी ही रुकने, चलने की तैयारी की जाए। इन बत्तियों को यातायात बत्ती कहते हैं। अगर इनका पालन किया जाए तो अनचाही सड़क दुर्घटनाओं से काफी हद तक बचा जा सकता है।





'और दीदी ये सड़क पर सफेद रंग की पटि्टयाँ क्यों बनी हैं?'

'खुशी, इसे जेबरा क्रॉसिंग कहते हैं। यह पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने हेतु बनाई जाती है ताकि हम बिना किसी डर के सड़क पार कर सकें। जब लाल बत्ती पर गाड़ियाँ रुकी हों तो हमेशा सड़क जेबरा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए, वह भी सावधानी से ,दौड़ कर नहीं।'



खुशी ने थोड़ा आगे पहुंचकर देखा कि कुछ लोग इस ओर चल रहे हैं तो कुछ उस ओर । कुछ लोग तो बित्तयों की परवाह किए बिना ही सड़क पार कर रहे थे। खुशी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो मुस्कान ने उसे रोकते हुए कहा, ' औरों को देख कर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सड़क पार करने से पहले हमें दाएँ फिर बाएँ और दोबारा दाएँ देखने के बाद भी गाड़ी बहुत दूर होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए।

20

इसके बारे में गंभीरता से सोचो :

शहर म एसा क्या—क्या नहा ह जा हरा नाय गर्या नहा ह जा हरा नाय गर्य गर्या नहा ह जा हरा नाय गर्या नाय गर्या नहा ह जा हरा नाय गर्या नहा ह जा हरा नाय गर्या नाय गर्य गर्या नाय नाय नाय नाय नाय नाय नाय नाय नाय न	शहर में ऐसा क्या–क्या नहीं है	जो हमें	ं गाँव में मिलता है?		
E U		2		3.	
4		E		U.	
8	4	8		9.	

दैनिक जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व हैं? अगर हम सड़क में खेलेंगे तो क्या हो सकता है? हमें खेल के मैदान में ही क्यों खेलना चाहिए?

जेबरा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करने से क्या लाभ होता है? बच्चों को सड़क पार कैसे करनी चाहिए?



रिक्त स्थान भरो :--



बातें करते—करते वे सपरून से आगे निकले तो खुशी ने सड़क के साथ अलग से बना रास्ता देखा जिस पर पैदल चलने वाले लोग आ जा रहे थे, तब खुशी ने मुस्कान से पूछा,' दीदी! लोग सड़क से क्यों नहीं जा रहे हैं? पीछे तो लोग सड़क पर ही चल रहे थे?'

' ये पैदल चलने का रास्ता है। इसे पेडेस्ट्रीयन पाथ (Pedestrian Path) कहते हैं। इस पर चलना सदैव सुरक्षित रहता है। जहाँ पर ये हों , हमेशा इन पर ही चलना चाहिए। जहाँ ऐसे रास्ते न हों , वहां हमें सदैव बाएँ ही चलना चाहिए। एक बात और खुशी, जब भी हम सड़क पर चलें तो हमें ईयरफोन या गाने सुनने का कोई दूसरा यंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।'





- सड़क पार करने से पहले सड़क पार करने के नियम :
- पहले दाएँ देखो फिर बाएँ देखो।
- 🗖 दोबारा अपने दाएँ देखो।
- पुनिश्चित करों की सब गाड़ियां रुक गई हैं तो अपना हाथ हिला सड़क पार करने का संकेत करते हुए, या अपनों से बड़ों का हाथ पकड़ तेजी से सड़क पार करो।



क्या करें:

- 💠 जहाँ तक हो सके पैदल चलने वाले रास्ते का ही प्रयोग करें।
- 🔈 जहाँ पैदल चलने का रास्ता न हो वहाँ हमेशा अपने बाएँ चलें।
- सड़क पार करने के लिए जेबरा क्रॉसिंग—ओवर ब्रिज का ही प्रयोग करें। जहाँ जेबरा क्रॉसिंग न हो वहाँ सड़क पार करते समय अधिक सावधानी बरतें।
- सड़क पार करते समय बड़ों की मदद लें।
- सङ्क तभी पार करें जब गाड़ी उचित दूरी पर हो।

क्या न करें:

- दौड़ कर सड़क कभी भी पार न करें।
- खड़ी हुई गाड़ियों के बीच या सामने से कभी भी सड़क पार न करें।
- अंधे मोड़ पर कभी सड़क पार न करें।
- सड़क पार करते हुए कभी रेलिंग पर से न कूदें।
- सड़क पर चलते वाहन के सामने से दौड़ कर कभी सड़क पार न करें।



'बस! डीसी ऑफिस के पास पहुँचने वाले हैं।'

उसे बताया,' यह आपातकाल में प्रयोग किया जाने वाला नंबर है। अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो इस नंबर पर संपर्क करने पर तुरंत सहायता मिलती है।' अचानक खुशी के चाचा का मुस्कान को फोन आ गया,' कहाँ हो मुस्कान?'

तभी खुशी ने सामने से गुजरती सफेद रंग की गाड़ी देखी जिस पर 108 लिखा था । तब मुस्कान ने उसके मन में उठे प्रश्न को भांप

'जल्दी आ जाओ। मैं चिल्ड्रन पार्क के गेट के पास तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ,' और वे दोनों लंबे— लंबे कदम भरतीं चिल्ड्रन पार्क की ओर चलने लगीं।

अध्यापकों के लिए:

अध्यापक अपने विद्यालय में सड़क पर चलने का जीवंत वातावरण बना बच्चों को सड़क सुरक्षा नियम और उनके महत्व को रोचक ढंग से बताएँ।

अध्यापक बच्चों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं उसे मनाने के उद्देश्य की जानकारी दें और इस सप्ताह को अपने विद्यालय में भी मनाएँ।



बच्चों के लिएः सड़क सुरक्षा नियमों की सूची बनाएँ।

प्रश्नोत्तरी:

- सड़क पार करते समय तुम तब सुरक्षित हो जब
 - क. दौड़ कर सड़क पार करते हो
 - ख. तेज गति से चलते हुए सड़क पार करते हो
 - ग. बड़ी सावधानी से चलते हुए सड़क पार करते हो
- 2. सड़क पार करने से पहले तुम
 - क. पहले दाएँ फिर बाएँ और फिर दोबारा दाएँ देखोगे
 - ख. कहीं कुछ नहीं देखोगे, बस दौड़ जाओगे
 - ग. हाथ उठा कर सड़क पार करने का संकेत करते हुए सड़क पार करोगे
- 3. जहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं है वहां तुम
 - क. सड़क के बाईं ओर चलोगे
 - ख. सड़क के दाई ओर चलोगे
 - ग. सडक के किसी भी ओर चलोगे
- 4. तुम सड़क पर खेलोगे जहाँ
 - क. सड़क पर कम गाड़ियाँ चल रही हों
 - ख. सडक पर गाडियाँ नहीं चल रही हों
 - ग. सडक पर कभी नहीं खेलोगे
- 5. सड़क पर लगा निशान किस जंगली जानवर से संबंधित है
 - क. जेबरा
 - ख. हाथी
 - ग. शेर

(नोट— कक्षा में अध्यापक और भी बहुत से ऐसे प्रश्न तैयार कर छात्रों की सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी रोचकता से बढ़ा सकते हैं।)





सड़क सुरक्षा-जिम्मेदारी हमारी







राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद्, सोलन (हि.प्र.)

प्रस्तावना

वर्तमान समय में आर्थिक विकास, बदलते जीवन स्तर, तकनीकी उन्नित और आवागमन की बढ़ती जरूरतों के कारण सड़कों पर यातायात में तीव्र गित से वृद्धि हुई है। हमारे आसपास की सड़कों पर दिनोंदिन बढ़ता हुआ यह यातायात सड़क उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियां खड़ी कर रहा है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए यह अति आवश्यक हो गया है कि जन-जन को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित कर उनमें सड़क सुरक्षा के प्रति और जागरूकता लाई जाए तािक अपने आसपास की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाकर इनमें हो रही अमूल्य जीवन हािन को रोका जा सके। खासकर बच्चों और युवाओं को यातायात के नियम के बारे में जागरूक करना और भी जरूरी है तािक सड़क पर सुरक्षा की नींव बालपन से ही रखी जाए, जिससे भविष्य में वे सड़क सुरक्षा के नियमों का अच्छे से पालन करे और सड़क पर किसी भी तरह की कोई भी गलती न करें।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद् प्रदेश स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा हेतु अपनी भूमिका निभाती रही है। परिषद् ने समय-समय पर स्कूली शिक्षा का मूल्याँकन कर उसे समयोपयोगी बनाने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा के महत्व को समझते हुए परिषद् ने परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर 'सड़क सुरक्षा जिम्मेदारी हमारी!' पुस्तक की पाठ्यसामग्री का निर्माण किया है।

यह पाठ्यसामग्री कक्षा छठी से कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है, जिसमें सड़क सुरक्षा के लिए नागरिकों के कर्तव्य, पैदल एवम् साइकिल से चलने वालों के लिए ध्यान रखने योग्य सावधाानियां, वाहन चलाने के लिए आवश्यक नियम, यातायात चिह्नों के अर्थ, नियमों का उल्लंघन करने पर मिलने वाले दंड, वाहनों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण आदि का उल्लंख करके नागरिकों को जागरूक बनाने का प्रयास किया है।

विद्यार्थियों से हमारी अपेक्षा है कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। इसके साथ ही सड़कों और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखकर स्वयं तो एक ज़िम्मेदार नागरिक बनेंगे ही पर किसी अन्य को इन नियमों का उल्लंघन करते हुए देखकर उन्हें भी इनका पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।

प्रस्तुत पाठ्यसामग्री को अधिक से अधिक छात्रोपयोगी बनाने के लिए प्रदेश भर के विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया है। अपने समय की शैक्षिक आवश्यकताओं को यह पाठ्यसामग्री पूरा करती रहे, इसके लिए अभिभावकों और अध्यापकों के सुझावों का परिषद् सदैव स्वागत करेगी।

प्राचार्य, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद् सोलन(हि0प्र0)

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

कार्यक्रम संयोजकः

वीना ठाकुर (सहायक-आचार्य), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद्, सोलन (हि.प्र.)।

सहयोग:

डॉ. अशोक गौतम, मनोज कुमार। डॉ. ईश्वर दास राही, पवन कुमार। सुरेश कुमार, इंद्र कुमार नेगी, विजय कुमार। देव दत्त शर्मा, बलदेव सिंह, सरिता कुमारी। रंजना नायर, सुषमा शर्मा, डॉ. संजय कुमार।

अंग्रेजी अनुवाद:

डॉ. दीपक ठाकुर।

चित्रांकन सहयोग:

विदूषी चौहान, जिबितेश, निकिता, अनिमेश शर्मा, रुपाली नेगी।

सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा

हम

सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि सड़क पर चलते हुए सड़क सुरक्षा नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे।

हम
वाहन चलाने से पूर्व
वाहन का सुरक्षित होना सुनिश्चित कर
निर्धारित गति में वाहन चलाएंगे
तथा सीटबेल्ट एवम् हेलमेट का भी प्रयोग करेंगे।

हम

संड़क पर पैदल अथवा यातायात के अन्य साधनों से चलते हुए कभी भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे।

हम

शपथ लेते हैं कि हम कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे तथा सदैव पूरे होश में ही वाहनं चलाएंगे

हम

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए स्वयं की तथा दूसरों की जान बचाने के लिए सदैव वचनबद्ध रहेंगे।





सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (परिवहन विभाग), हिमाचल प्रदेश।





बात बात में बात

तृषित आज फूला नहीं समा रहा है क्योंकि आज उसके दादा जी जो गाँव के सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं, छुट्टियों के चलते उनके पास आ रहे हैं। दादा जी के बहुत मना करने के बाद भी उसके पापा उन्हें बस स्टैंड से लाने गए हैं। तृषित दादा जी से मिलने को आतुर हो बार-बार दीवार घड़ी को निहार रहा है। उसकी नजरें दरवाज़े पर से हट ही नहीं रही हैं। जरा सी भी आहट होती है तो वह झट से दरवाज़े की ओर लपकता है पर बाहर किसी को न देख मायूस होकर भीतर आ जाता है। पता नहीं दादा जी कब आएंगे? इतनी देर क्यों कर रहे हैं दादा जी आने में? इस बात को लेकर उसके मन में अनेकों सवाल समुद्र के ज्वार भाटा की तरह उठ बैठ रहे हैं।

जैसे ही दीवार-घड़ी ने टन-टन करते हुए दोपहर के बारह बजने की सूचना दी तो उसके सब्र का बाँध टूट गया। हद है दादा जी की भी! अब तक नहीं आए? कहाँ रह गए होंगे? उसने बेचैन होकर अपनी मम्मी से पूछा, 'मम्मी! पापा को फोन करके पूछो कि उन्हें दादा जी को लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? वह दादा जी को लेकर कब तक पहुँचेंगे?' अभी उसकी मम्मी उसे कुछ कह भी न पाई थी कि तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। तृषित बाहर गया तो उसने देखा कि गाड़ी से उसके पापा और दादा जी बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही उसके दादा जी अपना चश्मा ठीक करते हुए गाड़ी से बाहर निकले उसने दौड़कर उनके चरण स्पर्श किए। दादा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आर्शीवाद देते हुए कहा, खूब बड़े बनो मेरे

लाल।' दादा जी का आर्शीवाद लेकर तृषित ने उनसे लिपटते हुए शिकायत भरे अंदाज में पूछा,' दादा जी, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? पता है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था।' तब दादा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहा,' क्या करें बेटा, हम तो बस स्टैंड से तुरंत ही चल पड़े थे, परंतु आजकल जिसे देखो वही जल्दी में है। इसी जल्दी में लोग यातायात के नियमों का पालन करना तक भूल जाते हैं, जिसके कारण सड़क पर जाम की समस्या आम हो गई है। इसी जाम के कारण दो घंटे बाजार में फंसे रहे।' दादा जी, मैंने अपनी पाँचवी की किताब में भी यातायात के नियमों के विषय में पढ़ा है पर'

'अरे! तृषित सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? दादा जी को अंदर तो आने दो। दादा जी कुछ दिन तक यहीं है। बाद में इनसे अपने सारे सवाल कर लेना', उसके पापा ने उससे कहा तो वह अपने दादा जी का हाथ पकड़कर उन्हें भीतर लाते हुए बोला, 'दादा जी, चलो अब आप आराम कर लो। उसके बाद मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं।'



दोपहर का भोजन करने के उपरांत तृषित सीधा दादा जी के कमरे में चला गया। उसे देखते ही दादा जी मुस्कुराते हुए बोले; बेटा तृषित! अब पूछो उस समय क्या पूछना चाहते थे तुम?' तृषित की ओर देखते हुए वह आराम से कुर्सी पर बैठ गए।

'दादा जी, अति आवश्यक होने के बावजूद भी सभी लोग यातायात के नियमों का पालन क्यों नहीं करते?' 'बेटा, नियमों के प्रति जागरूक न होने के कारण या लापरवाही के कारण अक्सर हम अपनी जान के साथ–साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। मुझे तो तुम्हारी भी चिंता होती है। तुम सब भी तो पैदल, बस, कार, स्कूटर, रिक्शा और साइकिल पर यात्रा करते रहते हो।'

'दादा जी, मुझे कुछ नहीं हो सकता।' उसने बड़े गर्व से कहा तो दादाजी बोले, 'बेटा यह विचार ही तो समस्या की जड़ है। सब यही सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, पर सच तो यह है कि किसी को भी कुछ भी हो सकता है और यह बात सभी को समझाने में अभी कुछ समय तो लगेगा। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें और सड़कों पर सुरक्षित रहें।'





आओ देखें चिंकी क्या कहती है?

पुराने समय में परिवहन के साधन नहीं थे। फिर धीरे-धीरे अपनी जरूरत के हिसाब से हमने जानवरों का प्रयोग यातायात के साधनों के रूप में करना आरम्भ कर दिया। जब पहिए की खोज हुई तो परिवहन और हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल गई। सोलहवीं शताब्दी में गाड़ियों के आविष्कार ने यातायात को और भी आसान बना दिया। लेकिन इस खोज ने एक नया खतरा पैदा कर दिया, जिसका नाम है सड़क दुर्घटना। इसलिए उसके बाद से समाज में सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण हो गया है ताकि सड़क पर चलते हुए हर प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके।

'अच्छा! ये जागरूकता क्या होती है?' तृषित ने जिज्ञासु होकर अपने दादा जी से पूछा तो उसके दादा जी ने उसे जागरूकता का अर्थ समझाते हुए कहा, बेटा, जागरूकता हमेशा सही के साथ चलने और सही करने की समझ को कहते हैं।' 'दादा जी, फिर सड़क सुरक्षा जागरूकता का अर्थ क्या हुआ?' तृषित छूटते ही बोल पड़ा तो दादाजी ने कहा, 'सड़क पर इस प्रकार से चलना या वाहन को इस प्रकार से चलाना कि न खुद को और न किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। इसी के साथ दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना, न माने तो उसका विरोध करना, आवश्यकता होने पर पुलिस से शिकायत करना, बस यही है सड़क सुरक्षा जागरूकता।'

तृषित के प्रश्न समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे लेकिन उसके दादा जी खुश थे कि वह उनकी बातों में रुचि ले रहा है। वह उस समय मन ही मन सोच रहे थे, काश! वह इस बात को इतनी ही सरलता से सभी को समझा पाते जिससे रोज रोज हो रही जनहानि रुक जाती। अभी वह सोच ही रहे थे कि तृषित के मन में एक और प्रश्न उमड़ आया। उस प्रश्न को उसके चेहरे के भावों से सहज ही महसूस किया जा सकता था। 'पूछो पूछो, अब क्या पूछना चाहते हो?' उसके दादा जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा तो तृषित ने पूछा, 'दादा जी, आखिर खतरा देखकर भी हम खतरे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं?' 'इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे कभी लापरवाही तो कभी अज्ञानता।'

'पर दादा जी यह बात तो अब मुझे भी समझ आ गई तो सब लोग इस बात को क्यों नहीं समझते?' तृषित के ऐसा पूछने पर दादा जी बोले 'यही तो समस्या है और इसी कारण सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा बार-बार इस बात को समझाने की आवश्यकता पड़ती रहती है।'

'दादा जी! हम बच्चे इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?' तृषित से यह बात सुनकर दादा जी बोले 'ये हुई न बात! यदि हम सड़क पर सुरिक्षत चलना चाहते हैं तो हम सभी को इसी प्रकार से सोचना होगा। वैसे बच्चों को बड़ों के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं से ज्यादा खतरा रहता है। इसिलए उनको शुरुआती समय से ही सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताने की बहुत जरुरत है। इससे उन्हे सड़क पर सुरिक्षत रहने के साथ-साथ भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मदद मिलेगी।'

तृषित की जिज्ञासा देखते हुए दादा जी बोले, चलो, बाजार चलते हैं। देखते हैं कि सड़क सुरक्षा जागरूकता किस तरह से हमारी मदद करती है। बाजार में हम सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ और बातें भी जानेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो जाता हूँ।

तृषित को जैसे मन माँगी मुराद मिल गई हो, वह बोला, 'पर दादा जी, अगर मुझे बाजार में भूख लग गई तो?' 'मुझे पता है वो तो तुम्हें दुकान देखते ही लग जाएगी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी बाजार में ऐसे ही भूख लग जाया करती थी।' कह कर दादाजी हँसने लगे। जब तक दादा जी तैयार हुए तब तक तृषित भी तैयार होकर आ गया।



चिंकी चहकी

जितना बड़ा शहर, उतने बड़े वहाँ के यातायात के खतरे। आज जैसे-जैसे हमारी आय के साधन बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे ही हम अधिक सुविधाभोगी होते जा रहे हैं। जिसके कारण हमारे घरों में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। परिणामस्वरुप सड़कों पर वाहनों की भीड़ तो बढ़ गई है परंतु सड़कों की हालत में उस हिसाब से सुधार नहीं हो पा रहा है। यदि हम सुरक्षित यातायात चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपनी सड़कों को सुधारना होगा, चालकों को कुशल बनाना होगा क्योंकि अधिकतर दुर्घटनाएँ मानवीय गलती के कारण ही घटती हैं। जब हम रोमांच के लिए अपने वाहन की गित बढ़ाते हैं तो उसे अपने नियंत्रण में रखने की जगह हम उसके नियंत्रण में हो जाते हैं। हम वाहन पर से अपना नियंत्रण खो किसी भी प्रकार की दुर्घटना को निमंत्रण दे देते हैं। इस दशा को सुधारने के लिए लोगों को सड़क सुरक्षा के विषय में संवेदनशील करना बहुत जरूरी है। सड़क सुरक्षा जागरूकता के मुख्य उद्देश्य हैं –

- सडक यातायात नियमों की जानकारी देना।
- सड़क पर चलने वालों में सड़क अनुशासन की भावना जगाना।
- सड्क नियमों के प्रति सम्मान रखकर उनका पालन करना।
- प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदल और वाहन पर सवार यात्रियों की मदद करना।

अभी वे घर के पास वाली सड़क पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी कुछ गाड़ियों को रोक कर चालकों से बातचीत कर रहे हैं। तब तृषित ने दादा जी से जानना चाहा कि उन गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है? दादा जी ने चलते-चलते ही उसे समझाया कि वे यातायात के नियम तोड़ रहे होंगे। जैसे कि वह या तो गाड़ी बहुत तेज चला रहे होंगे या फिर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी अथवा वे ऐसे ही किसी अन्य नियम का उल्लंघन कर रहे होंगे। यदि वह गलत होंगे तो उनको अब कानून के तहत तय जुर्माना भरना पड़ेगा।

इस तरह बातें करते-करते वह दोनों स्थानीय बस स्टैंड की ओर बढ़ गए। दादाजी उसे बताने लगे, 'देखो तृषित! हमें वाहन चलाते हुए ही नहीं बल्कि सड़क पर पैदल चलते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।'



नटखट चिंकी बोली

क्या करना चाहिए

- हमें सदैव सड़क के दाई तरफ या पैदल चलने वाले फुटपाथ पर ही चलना चाहिए।
- यातायात बत्ती (ट्रैफिक लाइट) का पालन करना चाहिए।
- रात्रि के समय सड़क पर हल्के रंग के कपड़े पहन कर चलना चाहिए।
 क्या नहीं करना चाहिए
- कभी भी सड़क पर दौड़ना या खेलना नहीं चाहिए। न ही कभी दौड़ कर या जल्दबाजी में सड़क पार करनी चाहिए।
- सड़क पर पैदल चलते समय और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए।

तृषित ने देखा कि बस स्टैंड से पहले एक चौराहे पर एक तरफ की गाड़ियाँ खड़ी हैं और दूसरी तरफ की गाड़ियाँ चल रही हैं। यह देख उसने दादा जी से पूछा, 'अब इनको क्यों रोका है?' तब दादा जी ने गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'यहाँ गाड़ियाँ बहुत हैं इसलिए इनको नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं। जो गाड़ियाँ रुकी हैं उनके लिए लाल बत्ती है और जो चल रही हैं उनके लिए हरी। ट्रैफिक लाइट्स का पालन करना सिर्फ सड़क पर वाहन चलाने वालों के लिए ही नहीं बल्कि सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए भी आवश्यक है।'

'दादा जी, ट्रैफिक लाइट्स कितने रंग की होती हैं?' तृषित ने उत्सुकता से पूछा तो दादा जी ने जवाब दिया, 'तीन रंग की होती हैं। सबसे नीचे हरी, बीच में पीली और सबसे ऊपर लाल। लाल बत्ती दर्शाती है कि अभी उस ओर से आ रहे सभी वाहनों को रुकना है। पीली बत्ती का अर्थ है कि उस दिशा से आ रहे वाहनों की गति धीमी कर अगले सिग्नल का इंतजार करना है। सबसे नीचे दिख रही हरी बत्ती



जलने पर उस दिशा में रुके हुए वाहनों को चलने का निर्देश देती है।' 'पर दादा जी, हम तो पैदल चल रहे हैं। ऐसे में इन सिग्नल्स का हमें क्या लाभ?' 'यह निर्देश हमारे लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितना वाहन चलाने वालों के लिए। गाड़ियों के लिए लाल सिग्नल होने पर संभल कर इधर-उधर देखते हुए जेबरा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। इसमें ही हम सबकी सुरक्षा निहित है।' 'अब तो पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं।' तृषित ने दादा जी की ओर देखते हुए कहा तो दादा जी बोले, 'संभल कर। अभी हम सड़क पार कर रहे हैं। चलो, ठीक से मेरा हाथ पकड़ो और बताओ क्या खाना है तुम्हें?' तृषित ने दादा जी के साथ बाजार में खूब मौज मस्ती की। दोनों ने एक दूसरे की पसंद का जमकर खाया।

सूरज ढलने से पहले ही दोनों बाजार से घूमकर घर वापिस आ गए। हालांकि बाजार में घूमते-घूमते तृषित थक चुका था। पर थका होने के बावजूद भी उसके लिए आज का दिन बहुत खास था। खास इसलिए कि आज उसने जमकर मस्ती तो की थी, पर साथ ही साथ सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बहुत कुछ व्यावहारिक रूप से देखा और सीखा था जिसे वह शायद अब कभी न भुला पाए।

(पाठ्यचर्या प्रकोष्ठ, एससीईआरटी सोलन, हिप्र की निर्मिति)

प्रश्न-अभ्यास



कहानी से

- 1. तृषित किस बात से खुश था?
- 2. सड्क सुरक्षा सप्ताह क्यों मनाया जाता है?
- 3. टैफिक लाइट अलग-अलग रंग की क्यों होती है?
- 4. हमें किसी भी प्रकार के नियमों को जानने की आवश्यकता क्यों है?

- 5. तृषित के लिए आज का दिन क्यों खास था?
- 6. यदि हम अपने जीवन में सदैव नियमों का पालन करें तो हमें क्या लाभ होगा?

कहानी से आगे

- 1. राधा अपनी छोटी बहन मीना के साथ बाजार जा रही है। मीना बहुत चंचल है, आप राधा को बाजार जाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखने की सलाह देना चाहेंगे?
- 2. तृषित और दादा जी कहानी में किस विषय पर बात कर रहे हैं? स्कूल और घर में बच्चों के साथ इस विषय पर चर्चा करना क्यों आवश्यक है?
- 3. सड़क सुरक्षा जागरूकता से आप क्या समझते हैं? यह यात्रा को सुरक्षित बनाने में कैसे सहायता करती है?
- 4. किसी को सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना करते देख आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी?
- 5. 'सुरक्षा के साथ समझौता दुर्घटनाओं को न्यौता' से आप क्या समझते हैं?

अनुमान और कल्पना

- कल्पना कीजिए कि व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। ऐसे में वहाँ यातायात की क्या स्थिति होगी?
- 2. यदि आप बच्चों को दौड़ कर सड़क पार करते हुए देखेंगे तो उन्हें क्या समझाएंगें?

भाषा की बात

1.	आकाश शब्द का अर्थ है	जिसकी कोई सीमा	न हो या	अंतहीन। र	यह शब्द मू	ल शब्द	के शुरु	में
	कुछ जोड़ने से बना है।	इसे उपसर्ग कहते	हैं। इन उ	पसर्गों को	अलग कर	के मूल	शब्दों व	क्रो
	लिखकर उनका अर्थ स	मझो–						

अमर	•••••	अलौकिक	
अनुशासन	•••••	अपराजित	
अक्षमता	•••••	अविरल	

- 2. नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो-
 - 1. गर्व
 - 2. आहट
 - 3. जिज्ञासा
 - 4. मुराद
 - 5. निर्देश





आखिर बेटी किसकी है

पात्र

परिवार 1: परिवार 2: श्रवण (पिता) दीपक (पिता) प्रेरणा (माता) सुजाता (माता) धीरज (बेटा) अभिलाषा (बड़ी बेटी) प्रतिभा (छोटी बेटी)

दृश्य 1

भ्यम वर्गीय परिवार अपने घर के मेहमान कक्ष में जल्दी-जल्दी कहीं जाने की तैयारी करते हुए।

प्रेरणा: अरे बेटा, थोड़ा जल्दी करो...पापा ऑफिस से कब के निकल चुके हैं.... तुम्हें मालूम है न कि थोड़ी सी भी देरी होने पर वो कितना आग बबूला हो जाते हैं। निष्ठा: माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, लेकिन भाई ही कछुए की चाल से सरक रहा है।

प्रेरणा: क्या बात है बेटा, ये मुँह क्यों फुला रखा है?

धीरज: माँ, मेरा अंकल के घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा।

प्रेरणा: वो क्यों भला?

निष्ठा: क्योंकि अंकल ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर हैं।

प्रेरणा: पुलिस इंस्पेक्टर हैं तो क्या हुआ? हैं तो तुम्हारे पापा के बचपन के दोस्त न! तुम्हारी सड़क सुरक्षा सप्ताह की प्रोजेक्ट-रिपोर्ट सुधारने के लिए उनसे अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है?

धीरज: प्रोजेक्ट-रिपोर्ट तो एक बहाना है मुझे साइकिल न लेकर देने का। प्रेरणा: ये क्या बात हुई? निष्ठा: माँ! भैया को लगता है कि आप उसे साइकिल लेकर देने का वादा पूरा ही नहीं

करना चाहते। वो कह रहा है कि ... (**धीरज घूरता है**)

प्रेरणाः कि....

निष्ठा: किकि.....हम लोग पुलिस अंकल के घर भी इसीलिए जा रहे हैं....

प्रेरणा: धीरज, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है?

धीरज: तुम देख लेना माँ.... आज रात खाना खाते समय अंकल हमें सड़क दुर्घटनाओं के कुछ डरावने किस्से सुनाएंगे और बाद में पापा कहेंगे "देख लिया...कितने खतरे होते हैं सड़क पर.....चुपचाप स्कूल बस में आया-जाया करो।"

प्रेरणा: (हँसते हुए) ओह, तो इतनी सी बात से चेहरा उतरा हुआ है। बेटा, बच्चों का ख्याल अगर माता-पिता नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? और अंकल भी अपना समझ कर ही समझाएंगे। तुम्हारी साइकिल की जिम्मेवारी मेरी है। तुम फिलहाल बस अपनी प्रोजेक्ट-रिपोर्ट पर ध्यान दो और अगर अंकल से डर लगता है तो प्रोजेक्ट-रिपोर्ट अपनी अभिलाषा दीदी को दिखा देना। उसने भी तो इसी साल बारहवीं



धीरज: (चहक कर) अरे, दीदी की साइकिल तो मैं भूल ही गया था...ठीक है माँ, मैं एक ही शर्त पर चलूंगा कि आप मुझे वहाँ साइकिल चलाने से नहीं रोकोगे।

प्रेरणा: ठीक है, जी भर कर साइकिल चला लेना....मैं मना नहीं करुँगी।

निष्ठा: पर भैया साइकिल तो तब चलाओगे न जब उनके घर पहुँचोगे।

धीरज: हाँ-हाँ, चल रहा हूँ... मैं ताला लाता हूँ, तुम प्रोजेक्ट-रिपोर्ट उठा लो।

निष्ठा: वो तो मैं पहले ही अपने बैग में डाल चुकी हूँ।

धीरज: (ताला माँ को देता है) चलो माँ, जल्दी चलो।

प्रेरणा: तुम चलो, मैं ताला लगाती हूँ।

दृश्य 2

उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के बैठक कक्ष में परिवार के सदस्य मेहमानों के स्वागत की तैयारी में अव्यवस्थित सामान को व्यवस्थित कर रहे हैं। प्रतिभा ट्रैफिक पुलिस की भाँति सीटी बजाकर सामान इधर-उधर रखवा रही है।

सुजाता: बेटा, वो लोग पहुँचने ही वाले होंगे। अभिलाषा, जरा पापा को फोन करो और पूछो कि डयूटी खत्म हुई या नहीं?

अभिलाषा: (फोन पर बात करते हुए) हैलो पापा...कब तक आओगे....जी, आँटी का फोन तो काफी पहले आ गया था पर वो अभी नहीं पहुँचे हैं अच्छा, तो श्रवण अंकल आप के साथ ही हैं? ... ठीक है......

सुजाता: (सामान व्यवस्थित करते हुए) अरे! अपने पापा से कह दो कि थोड़ा सा ताजा धनिया और कुछ नींबू भी लेते आना।

अभिलाषा: पापा, आप ने सुन लिया न माँ ने क्या कहा? (घंटी की आवाज) पापा लगता है वो लोग आ गए ... देखती हूँ, बाय।

सुजाता दरवाजा खोलती है और सभी मेहमानों का हाथ जोड़कर अभिवादन करती है। प्रतिभा सीटी बजा कर मेहमानों को कुर्सियों की ओर जाने का इशारा करती है। अभिलाषा: अब बस भी करो प्रतिभा।

सुजाता: इतनी देर कैसे हो गई?

प्रेरणा: क्या बताएं बहन जी, तैयार तो हम सुबह से ही थे मगर हमारे धीरज महाराज

ही थोडा धीरे-धीरे सरक रहे थे।

सुजाता: क्यों बेटा, क्या तुम्हें आँटी के घर आना पसंद नहीं है?

धीरज: नहीं आँटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है।

निष्ठा: आँटी जी. असल मे भैया यहाँ आने से डर रहा था।

अभिलाषा: (हैरानी से) डर रहा था, पर किस बात से?

प्रेरणा: बेटा, इसके पिता जी ने इसे सातवीं कक्षा में होने पर साइकिल देने का वायदा किया है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे लग रहा है कि तुम्हारे पापा सड़क दुर्घटनाओं के किस्से सुना कर इसे साइकिल दिलवाने का विरोध करेंगे और इसे स्कूल बस में ही जाना पड़ेगा।

प्रतिभा: (विश्वास भरे शब्दों में) बस इतनी सी बात.... पापा की हाँ चाहिए न वो तो मैं चुटकी बजाते ही दिलवा दूँगी।

निष्ठा: लेकिन अंकल तो बड़े ही कड़क पुलिस अधिकारी हैं।

अभिलाषा: कड़क भी हैं और नियम कानून के पक्के भी, लेकिन धीरज उन्हें अगर ये साबित कर दे कि वह ट्रैफिक नियम जानता भी है और मानता भी है तो उनकी हाँ ही हाँ है।

निष्ठा: दीदी, यही नियम तो भैया के डर की असली वजह हैं।

अभिलाषा: डरना क्यों? पापा के जाँचने का तरीका तो बड़ा ही सरल है। वो इससे सड़क सुरक्षा सम्बन्धी दो चार बातें करेंगे और यातायात नियमों के कुछ सवाल पूछेंगे। धीरज: (विरोध भरे स्वर में) लेकिन इतने सारे नियमों को भला कोई कैसे याद रख सकता है?

प्रतिभा: सबको याद रखने को कौन कह रहा है.... भई तुम्हें तो बस पैदल चलने और

साइकिल चलाने के लिए आवश्यक यातायात नियम ही याद रखने हैं।

धीरजः लेकिन पता नहीं अंकल क्या

पूछेंगे।

प्रतिभा: (मोबाइल फोन दिखाते हुए) ये

रहा तुम्हारा 'अलादीन का चिराग'।

धीरज: अलादीन का चिराग! क्या

मतलब?

प्रतिभा: मतलब ये कि पापा यातायात

नियमों संबंधी जो भी प्रश्न पूछते हैं वो सब इस फोन में हैं, जो हमने ही बनाए थे।

प्रेरणा: नहीं बेटा, ये बात तो ठीक नहीं है..... इस तरह तो ये कभी कुछ नहीं

184-8

सीखेगा।

सुजाता: अरे बहन जी, सिखाने के लिए ही तो सब बनाया है। बस तरीका जरा हट कर है। (प्रेरणा हैरान होती है)....चलो प्रतिभा, दिखाओ आंटी को अपना तरीका। प्रतिभा: जेबरा क्रॉसिंग; लाल, पीली और हरी बत्तियों का पता तो हम सबको है ही। पापा का ध्यान सबसे अधिक दूसरों की सुरक्षा पर रहता है इसीलिए जरा सी भी तेज गित नहीं.... पैदल चलने वालों का ख्याल....बाजार में साइकिल नहीं... मुख्य सड़क पर जाने से पहले दाएँ-बाएँ देखना...अपने से बड़ी गाड़ियों को अपना बुजुर्ग समझ कर सम्मान देना और भूले से भी सड़क पर सर्कस या कोई कलाबाजी नहीं..। अभिलाषा: तुम्हारे स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह तो मनाया गया होगा न? निष्ठा: (बैग से रिपोर्ट निकाल कर अभिलाषा को देते हुए) मनाया था दीदी। भैया तो उसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाने के लिए लाया है। ये रही रिपोर्ट। अभिलाषा: (पन्ने पलटते हुए, प्रतिभा भी रिपोर्ट देखती है) अरे भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया यही जानकारी तो पापा सबको देना चाहते हैं।

बस इस रिपोंट में ट्रैफिक चिह्नों और सड़क सुरक्षा नियमों के साथ-साथ इस बात का भी विशेष उल्लेख कर देना कि दुर्घटना केवल चालक की गलती से ही नहीं होती। कई बार पैदल चलने वालों की लापरवाही भी दुर्घटना को न्यौता देती है। अगर कहीं पैदल चलने का विशेष रास्ता या पुल बना हो तो हमेशा उसी पर चलें। सड़क कोई सैरगाह नहीं है। पैदल चलने वालों की लापरवाही उनके लिए तो भारी पड़ती ही है, बेचारे चालकों को भी परेशानी मे डाल देती है। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सड़क पर सतर्क व्यक्ति ही सुरक्षित है।

धीरज: जी, मैं इन सभी बातों को "पैदल चलने वालों के उतरदायित्व" के नाम का विशेष भाग बनाकर रिर्पोट में जोड दुंगा।

प्रतिभा: (रिपोर्ट देखकर) सारी बातों का तो तुम्हें पता ही है। बस जरा आत्मविश्वास से पापा के सामने ये सब कह देना।....सड़क सुरक्षा का मतलब है सड़क पर खुद की और दूसरों की सुरक्षा....सड़क-सुरक्षा सप्ताह की जरूरत इसलिए कि सभी जागरूक बन सकें....स्कूलों में सड़क-सुरक्षा क्लब इसलिए कि बच्चे सही जानकारी लें और दे सकें....समझ गए न (धीरज हाँ मे सिर हिलाता है) चलो मेरे कमरे में। हम करवाते हैं तुम्हारी तैयारी।

प्रेरणा: (निर्देश देते हुए) पर तैयारी सिर्फ ईमानदारी से करना।

प्रतिभा: आँटी, मैं नौटंकीबाज हूँ, धोखेबाज नहीं मुझसे जो सीखता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता.... बस आप देखती जाइए कि पापा के आने से पहले ही कैसे धीरज का डर नौ दो ग्यारह हो जाएगा। (सब बच्चे प्रतिभा के कमरे में जाते हैं)

प्रेरणा: जब तक बच्चे स्कूल से घर वापिस नहीं लौट आते मेरी तो साँसे ही अटकी रहती हैं। सुजाता: पर ये वक्त डरने का नहीं बिल्क बच्चों को सजग करने का है। हमारी थोड़ी सी सावधानी से किसी भी दुर्घटना को टाला जा सकता है। हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि बस में चढ़ते और उतरते समय बस के रुकने का इंतजार करें और यह अच्छे से देख लें कि उनके कपड़े या बैग कहीं फँसे हुए तो नहीं हैं। किसी

भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में हेल्पलाईन नंबर 112 और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचित करें।

प्रेरणा: क्या सचमुच ही ऐसी कोई हेल्पलाईन है, मुझे तो पता ही नहीं था।

सुजाता: अपने-अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो हम सभी को उठानी चाहिए। दूसरों का तो मुझे पता नहीं पर हमारी प्रतिभा निर्भीक रूप से ये जिम्मेदारी निभाती है। अरे चालकों को तो छोड़ो कई बार तो वो पैदल चलने वालों को भी नसीहत देने से परहेज



प्रेरणा: पैदल चलने वालों को नसीहत मैं कुछ समझी नहीं।

सुजाता: अगर सड़क पर चल रहा कोई व्यक्ति उसे मोबाइल पर व्यस्त मिले तो वह उसे एकदम से टोकती है। उसका रौद्र रूप तो उस समय सबसे अधिक दिखता है जब कोई व्यक्ति स्वयं भीतर की तरफ चल रहा हो और उसने अपने बच्चे को बाहर ट्रैफिक की तरफ चला रखा हो। एकदम से ही कहती है कि सब कुछ करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की ही है क्या?

प्रेरणा: ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ तो सचमुच ही बहुत खतरनाक हैं।

सुजाता: वही तो (घंटी बजती है) लगता है ये लोग आ गए।

सुजाता दरवाजा खोलती है। दीपक ओर श्रवण का प्रवेश। दीपक सामान का बैग सुजाता को देता है।

सुजाता: सारा सामान ले आए?

दीपक: हाँ जी ले आया ... बस एक चीज को छोड़कर।

सुजाता: वो क्या?

दीपक: अभी इसे राज ही रहने दो। बच्चे कहाँ हैं?

सुजाता: वो सब किसी खास काम की तैयारी में जुटे हुए हैं।

दीपक: मैं सब जानता हूँ। चलो इसी बहाने थोडा जानकार तो बनेंगे। करने दो तैयारी।

और बताइए भाभी जी आप कैसी हैं?

प्रेरणा: जी मैं ठीक हूँ। बस, आप जरा धीरज को समझा दीजिएगा।

दीपक: चिंता मत कीजिए भाभी जी। आजकल के बच्चे बहुत समझदार और सजग

हैं।

प्रेरणा: सो तो है.... पर थोड़ा डर लगता है कि कहीं कोई चोट न लगवा ले।

दीपक: (बीच में बोलते हुए) कमाल कर रहीं हैं आप। अरे अभिलाषा को देखिए, बारहवीं कक्षा की परीक्षा देनी है इस साल, और वह सातवीं कक्षा से साइकिल पर स्कूल आ-जा रही है। मैं तो अगले साल से प्रतिभा को भी साइकिल से ही स्कूल भेजने वाला हूँ।

श्रवणः लेकिन हमारी श्रीमती जी को लगता है कि सड़क पर निकले और खेल खत्म।

प्रेरणा: (हैरान होते हुए) इसका मतलब है कि आप ने साइकिल देख ली।

दीपक: (हँसते हुए) देख ही नहीं ली भाभी जी बल्कि ये तो उसके पैसे भी दे आया

है। बस आप लोग जाते-जाते धीरज की पसंद का रंग चुन लेना।

सुजाता: अच्छा! तो ये था आपका वो राज!

श्रवण: जी नहीं भाभी जी। उस भेद की पोटली खुलना तो अभी बाकि है। जरा बच्चों

को तो आने दीजिए।

सुजाता बच्चों को आवाज देती है। प्रतिभा सीटी बजाते हुए सबसे आगे आती है और दूसरों का बाजू हिला कर एक-एक करके प्रवेश करवाती है। सामान्य अभिवादन के बाद।

दीपक: और बरखुरदार! तो अब साइकिल पर स्कूल जाने की तैयारी हो रही है?

धीरज: (धीरे से) जी अंकल।

प्रतिभा: (पापा के अंदाज में बात करते हुए) लेकिन ध्यान रहे...दूसरों की सुरक्षा सबसे पहले। इसीलिए कभी भी तेज रफ्तार नहीं....पैदल चलने वालों का सड़क पर पहला अधिकार....बाजार में साइकिल बिल्कुल नहीं... मुख्य सड़क पर जाने से पहले दाएँ-बाएँ देखना...अपने से बड़ी गाड़ियों को अपना बुजुर्ग समझ कर सम्मान देना और सड़क पर भूले से भी कभी कोई सर्कस, दौड़ या कलाबाजी नहीं..

श्रवण: (विस्मित होते हुए) भाई! कमाल है!.... तुझसे ज्यादा तो तेरी बेटी जानती है। दीपक: (गर्व से) आखिर बेटी किसकी है!

प्रतिभा: अभी नहीं पापा। पहले अपना फोन निकालिए और लीजिए इसका टेस्ट। दीपक फोन निकालता है लेकिन प्रतिभा फोन अपने हाथ में ले लेती है और उसमें देखकर धीरज से सवाल पूछना शुरू करती है। धीरज सभी सवालों के सही जवाब देता है।**

**अध्यापकों से अनुरोध है कि यहाँ वे सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न विद्यार्थियों से पूछें। निष्ठा: तो क्या अब भैया की साइकिल पक्की?

दीपक: (श्रवण को देखते हुए) हूँ... सोचना पड़ेगा।

अभिलाषा: हाँ कर दो ना पापा। इस बेचारे ने तो कितनी मेहनत से सड़क सुरक्षा सप्ताह की इतनी अच्छी रिपोर्ट भी बनाई हुई है। (दीपक को रिपोर्ट देती है)

दीपक: (रिपोर्ट देखने के बाद) ... बेटा धीरज! तुमने रिपोट तो बहुत अच्छी बनाई है। भई, अब तो न कहने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं। (जेब से साइकिल का बिल निकाल कर देते हुए) ये लो तुम्हारी साइकिल का बिल। घर जाते-जाते अपनी पसंद

के रंग की साइकिल लेते जाना।

धीरज बिल देख कर हैरान होता है और खुशी से अपनी माँ से लिपट जाता है। धीरज: माँ, देखो...पापा ने सचमुच मेरे लिए साइकिल खरीद ली ...(माँ मुस्कुराती है)

अभिलाषा: (प्रश्न भाव में) और पापा मेरी साइकिल? आप मेरे लिए भी तो नई साइकिल लेने वाले थे न।

दीपक: नहीं, तुम्हें नई साइकिल नहीं मिल सकती।

अभिलाषा: (हैरान होते हुए) पर क्यों पापा?

दीपक: क्योंकि तुम अब अट्ठारह साल की हो गई हो।

अभिलाषा: तो क्या हुआ ?

श्रवण: तो हुआ ये कि अब तुम साइकिल नहीं स्कूटी चलाया करोगी और आज से तुम्हारी साइकिल प्रतिभा की।

प्रतिभा: सच पापा...(दीपक मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाता है, प्रतिभा खुशी से पापा के गले लग जाती है) मेरे पापा, सबसे अच्छे और प्यारे पापा।

दीपक: लेकिन ख्याल रहे ... स्कूटी के

लिए एक सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीख कर पक्का लाइसेंस लेना पडेगा।

अभिलाषा: वो तो मैं ले लूंगी।

सुजाता: तो ये था आप का वो राज?

दीपक: जी हाँ। पर अब बातें ही करती रहोगी या कुछ खाने का इंतजाम भी करोगी।

सुजाता: जी खाना तैयार है। जब तक हम उसे गरम करते हैं तब तक आप लोग हाथ-पैर धो लीजिए।

धीरज: और तब तक हम लोग बाहर साइकिल चला लेते हैं।

धीरज और प्रतिभा बाहर जाने लगते है। अभिलाषा माँ की मदद के लिए रसोई में जाती है।

दीपक: अरे निष्ठा! तुम भी जाओ न।

निष्ठा: अंकल मुझे तो साइकिल चलानी आती ही नहीं है!

प्रतिभा: तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम चलो तो सही, तुम्हें आज ही साइकिल चलाना सिखाती हैं। (तीनों बाहर जाने लगते हैं)

प्रेरणा: लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ घर के आंगन में ही खेलना। गली या सड़क में मत जाना, अंधेरा बहुत हो गया है।

सुजाता: घबराओ मत दीदी। प्रतिभा है न!

अभिलाषा श्रवण व दीपक के हाथ धुलवाती है। दोनों बातें करते हैं।

दीपक: बच्चो को जहाँ भी जगह मिले वो खेलना शुरू कर देते हैं।

श्रवण : हाँ, मैने तो कई बच्चों को सड़क पर भी खेलते हुए देखा है, जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।

दीपक: पता नहीं बच्चे और उनके माँ-बाप इतनी सी बात भी क्यों नहीं समझते हैं कि खेल के मैदान या पार्क में ही खेलना चाहिए।

श्रवण : पर आजकल पार्क या मैदान कौन सा घरों के पास रह गए हैं?

दीपक: मैं तो अक्सर बच्चों को यही बताता हूँ कि पार्क या मैदान घर से दूर हो तो वो घर पर चैस, रस्सी टप्पा, कैरम बोर्ड, जैसे छोटे-मोटे खेल ही खेल लें और छुट्टी वाले दिन पार्क में या खेल के मैदान में जाकर बािक के खेलों का मजा लें। (धीरज दौड कर आता है)

धीरज: माँ... माँ ... जल्दी से बाहर आओ (प्रेरणा जल्दी से आती है)

धीरजः वो निष्ठा को ...

प्रेरणा: (घबराहट में) क्या हुआ निष्ठा को...?

धीरज: वो आप खुद ही देख लो

प्रेरणा: (बाहर देख कर) ... हाय! ये क्या, ये कैसे हो गया....?

श्रवण: क्या हुआ?

प्रेरणा: सुनो जी, मुझे लगता है हमे एक नहीं दो साइकिलें लेनी पड़ेंगी। जरा निष्ठा को तो देखिये कितने आराम से साइकिल चला रही है। (दीपक, श्रवण ओर अभिलाषा भी देखते हैं)

दीपक: अरे, ये तो एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह साइकिल चला रही है।

श्रवण: (गर्व से) भई, आखिर बेटी किसकी है!

सुजाता: ये भी कमाल की बात है, अगर नाम रोशन करें तो बेटियाँ पिता की, और अगर कभी कोई गलती हो तो माँ की।



दीपक: श्रीमती जी, इसी नोक-झोंक का नाम ही तो परिवार है। अब खाना भी दोगी या सिर्फ भाषण ही खिलाने का इरादा है।

सुजाता: सब कुछ तैयार है जी, बस आप बच्चों को बुलाइए।

अभिलाषा: माँ, मुझे पता है ये कैसे आएंगे। (आवाज देकर) ओ ट्रैफिक हवलदार जी, वो खाना ट्रैफिक में भटक गया है ... प्लेटों और सब्जियों को समझ नहीं आ रहा कि किसे कहाँ जाना है, जरा जल्दी आइए।

सभी बच्चे दौड़े-दौड़े आते हैं और अपने हाथ धोते हैं। सब खाना खाने बैठते हैं। प्रतिभा सीटी बजाते हुए परिस्थिति को अपने हाथों मे लेती है।

प्रतिभा: ... ये करेले की सब्जी पापा के सामने... पनीर का डोंगा निष्ठा के सामने ... सलाद आंटी के सामने.... गुलाब जामुन मेरी कुर्सी के पास चावल धीरज भैया के सामने.....

दीपक: अरे आज ये क्या नई ड्रामेबाजी हो रही है?

खाना खा लो।

अभिलाषा: पापा इसका राज तो आप इस नौटंकीबाज से ही पूछिए।

प्रतिभा: पापा....आप को तो पता ही है कि हमारे स्कूल का सड़क सुरक्षा क्लब सड़क सुरक्षा पर एक नाटक कर रहा है, लेकिन उसमें कोई भी ट्रैफिक हवलदार का रोल नहीं करना चाहता था। तो मैंने मैडम से कहा कि क्योंकि मैं एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी हूँ तो ये रोल तो मैं ही करूँगी और मैडम ने मुझे वह रोल दे दिया। सुजाता: और तभी से ये सीटियाँ बजा-बजाकर उस रोल की तैयारी कर रही है। निष्ठा: इसमें तैयारी करने की क्या जरूरत है? जहाँ मैडम बताएंगी वहाँ सीटी बजा देना। और अगर मंच पर कोई छोटी-मोटी गलती हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। प्रतिभा: अरे, मंच पर तो फर्क नहीं पड़ता...मगर, यहाँ गुलाब जामुनों की प्लेट अभिलाषा दीदी के सामने जाने से तो फर्क पड़ेगा न? (सब हँसते हैं) सुजाता: अब बस भी करो और चलो, गुलाब जामुन की प्लेट छूने से पहले

श्रवण: तो अभिलाषा, अब आगे क्या करने का इरादा है?

अभिलाषा: अंकल परीक्षा परिणाम के बाद ही किसी कॉलेज में प्रवेश लेने के बारे में विचार करूंगी।

प्रतिभा: दीदी कॉलेज में बाद में प्रवेश लेना पहले स्कूटी चलाने का पक्का लाइसेंस बना लेना वरना पापा के अनुशासन और नियम कायदे तुम जानती ही हो।

सुजाता: फिलहाल पापा के नियम कायदे छोड़कर मम्मी के अनुशासन की सोचो और चुपचाप खाना खाओ।

सब हँसते हुए भोजन करना शुरु करते हैं।

(पाठ्यचर्या प्रकोष्ठ, एससीईआरटी सोलन, हिप्र की निर्मिति)

प्रश्न अभ्यास

नाटक से

- 1. धीरज दीपक अंकल के घर क्यों नहीं जाना चाहता था?
- 2. धीरज की प्रोजेक्ट रिर्पोट का विषय क्या था?
- 3. ट्रैफिक की हरी, लाल और पीली बत्ती से आप क्या समझते हैं?
- 4. सडक पर पैदल चलने वालों का क्या उत्तरदायित्व है?
- 5. सड़क पर साइकिल चलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- 6. बस से यात्रा करते समय सफर को अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है?

नाटक से आगे

1. आपातकाल के लिए किन्ही चार हेल्पलाईन नम्बरों की सूची तैयार करें।

अनुमान और कल्पना

- 1. अभिलाषा को स्कूटी लेने के लिए अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने तक क्यों इंतजार करना पडा?
- 2. नाटक में दिए गए कथानक को ध्यान में रखकर सड़क पर समूह में चलते हुए आप किन बातों को ध्यान में रखेंगें? 20–30 शब्दों में लिखें।

भाषा की बात

- 1. नाटक में आए मुहावरों को छाँटे और उनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें।
- अध्यापक कक्षा में बच्चों को शब्दों के विभिन्न प्रकार- तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द के बारे में बताएँ तथा उन्हें नाटक में आए विदेशज शब्दों को छाँटने के लिए कहें।
- 3. नीचे दिए गए शब्दों का तत्सम व देशज रूप लिखें -

	क्रम संख्या	शब्द	तत्सम रूप	देशज रूप
	1.	पापा		
	2.	भैया		
	3.	तुम		
100	4.	धीरज		
.09	5.	नाटक		


अध्यापकों के लिए

 अपनी कक्षा या विद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में नाटक का मंचन करें। समय एवम् परिस्थिति के अनुरूप संवाद बदलने में संकोच न करें।



ROAD SAFETY AND PUBLIC PARTICIPATION

In the previous classes you studied in detail about the necessity of road safety and its rules. Roads are our life lines. We generally treat these life lines to be safe and secure but it is also common to see frequent road accidents happening on these roads. Due to these accidents the life lines change into death lines. The loss of life and kind on road accidents is not only the problem of our country, but it is also a global problem. It is, however, very unfortunate that the average of road accidents in our country is higher than that of other countries. Have you ever tried to find out as to why the number of accidents is higher in our country than in other countries? According to the August 2021 report of the World Bank, 11% are Indians among those who are killed in road accidents in one year. In the present time, road accidents have really become a serious problem and to find solution to this problem has become a necessity. From time to time the government has been introducing many rules and policies to control road accidents. What is also needed is public participation. Only then road accidents can be curbed strictly.





What is Public Participation?

Time and again, with the help of public participation, many social evils have been overcome or eradicated. Change that can be brought about by community, is hardly possible if introduced with policy, law and rules. The meaning of public participation is to understand feeling of public and to ensure their participation. Present age is the age of participation and cooperation. In this age when work is done with co-operation, then it is known as public participation. Through this powerful medium, policies of the government can be implemented effectively for the purpose of social upliftment. In this manner, with the help of many small groups of people, public can be educated and made aware about the rules of public safety, road signs and the rules of driving.

If we really want to get rid of road accidents, then it is high time that public participation is ensured and put to good use.





Kinkri Devi of Himachal is a source of inspiration to all for starting a public movement with the help of public participation. Kinkri Devi is an inspiring name in environment conservation. Hailing from the village Ghanto Sangrah of District Sirmour, she raised her voice against unscientific and illegal mining taking place in Giri Par areas of Sirmour district and made the people aware about the necessity of environment conservation. She started the struggle for environment conservation in 1985 with help of the women of the area and a few self-help organizations. Till her last breath, she committed herself to this noble cause. With various means such as peaceful protest, hunger strike and memorandum, she spread awareness about environment conservation and challenged the mining mafia in its nefarious activities. She filed a PIL in 1987 against illegal and unscientific mining in the area. In December 1991, the court issued a judgement in her favor and 60 mines were ordered to be closed with immediate effect. The credit of this achievement goes to immense courage of Kinkri Devi and the public participation that she inspired and initiated. For her effort the then PM honored her with Stree Shakti National award in 2001. She was also honored with the title of Rani Jhansi.

Necessity of Public Participation in the Present Time

Whether it is the problem of making the society drug free or to make society free from other social evils, nothing can be achieved without public participation. Like all other social evils, the problem of road accidents can also be dealt effectually with the help of public participation and public cooperation.

Rules play a significant role in making of an efficient society. In this context it is important to educate public about the rules of road such as to use seat belt and not to use cell phone while driving and never to cross the speed limit. It essential that these rules should become part and parcel of one's behaviour while driving. To encourage public participation and awareness in this public movement, social, print and electronic media can be put to use.

In the context of road safety and the importance of public participation, the awareness can be spread by many other means such as street plays by school children, participation of NCC cadets of schools for the campaign and involvement of various social organizations, their office bearers and other citizens.

As per one report of 2019 of the Ministry of Road Transport and Highways, in our country one lakh fifty thousand people lose their lives every year in road accidents. To avoid these untimely deaths, the knowledge and awareness of traffic rules are of utmost importance. It has been noticed many times that despite the fact that we are driving within the prescribed speed limit and are driving on the right side of lane, a careless driver hits us either from front or from back. Therefore, it is necessary that parents should not allow minors to drive. It is equally important to ensure that we always wear helmet while driving two-wheeler and wear seat belt while driving four-wheeler.





Civic sense

After in depth study of the phenomenon of road accidents, it has been found that most of accidents happen on account of lack of civic sense. This is a common tendency of society that so long there is fear factor, discipline is maintained. In absence of fear, discipline also ends. Therefore, civic sense and self-discipline of every driver is of utmost importance. The feeling of self-awareness, civic sense, and self-discipline in every citizen is very important to lower the rate of road accidents.



Who is a Samaritan?

A Good Samaritan is a person who takes the road accident victim

to the nearest hospital and helps the victim by informing the police or medical emergency. It has been generally observed that whenever an accident takes place, no one volunteers to offer help on the site of accident. The reason being, that the person



who does so has to face a lot botheration on the part of police. To encourage those who volunteer to help the victims of accidents, the government has framed Samaritan Protection rules so that such Samaritan is offered every protection while helping the victims of road accidents. Now police official or any concerned officer cannot force such Samaritan to disclose his name, identity, address or any personal information.

As per Samaritan Protection rules, the person who offers help to the victims of accident is offered full protection. A Samaritan who informs police about accident or if he takes the victim to hospital for treatment, he is not forced by police or hospital administration to stay there. Having admitted the victim of accident in hospital he is not supposed to seek permission of any authority to depart from there. This has two benefits: firstly, these rules will give timely medical help to the victims of road accidents and thus lives will be saved. Secondly, no one will hesitate in helping the victims of road accidents. As a result, the number of deaths due to road accidents will come down drastically.

In morning hours Rajesh with his father

Rajesh, loss
of life and property in road
accident has become quite a common thing
now. All the newspapers are full of



Yes
Papa, in the absence of road safety awareness and civic sense, even the slighest negligence on the road has a huge impact on life.

Ajay with his dada ji and mummy

Ajay,
you seem quite
excited today?

Dada ji, yesterday our teacher told us about the road safety awareness and today we are organising a road safety awareness rally.



Dada ji's mantra

Wow!
very good because these are
the only means through which we
can ensure public participition for




At school, Ajay joins the Rally

Road safety every day, save life every moment.

Hurt your helmet, not your head.



At home, with dada ji




Dada ji, I
learnt that social
change can be
brought with / through
public participation.
Only social awareness
can prevent road
accidents.

Yes, only road safety awareness and development of civic sense can make this possible.

Dada ji, what is civic sense?

In terms of road safety, civic sense means caring for the safety of our fellow citizens and hence driving cautiously and safely.



Right of walking on road

While walking on roads, one has to keep in mind that every person has right to walk on road. Therefore, it is important to know as to when and how to walk on road. Besides the right of citizens to walk on road, special facility and right have been given to emergency vehicles such as ambulance, fire brigade, hooter vehicles of police. Every driver and walker should have knowledge about traffic rules and road signs. The objective of this type of information is to curtail the rising number of road accidents.

Traffic signs

We have right to walk on road, but we should keep in mind our duties as well. Traffic signs give us right to walk on road, but they also give us responsibility to follow rules of road. Thus, while keeping in mind our duties and responsibilities, we must take traffic signs with all seriousness. Basically, traffic Signs are of three types:



School Ahead

- Mandatory signs
- Cautionary signs
- Informative signs

Mandatory signs

Mandatory signs direct how a person should act or behave while walking on road. Generally, the shape of these signs is round and their borders are of **red color.** To ignore these signs is to invite accidents. Penalty and punishment is always imposed in case these signs are ignored.

Major mandatory signs-



Cautionary signs

Cautionary signs alert driver about the possible risks or dangers ahead. Every driver should follow and attend to these signs with sincerity for his own safety. To ignore these signs is not legally punishable but these sign are extremely important for the life of driver. To ignore them can cause fatal accident any time. The shape of cautionary signs is triangular and their borders are also of red color.

Some cautionary signs-



Informative signs

The purpose as to why administration set up these signs on the sides of road is to inform those who use road about direction, destination or about public amenities available. By following these signs one saves time as well as reaches the destination effortlessly. These signs are of square of rectangular shape.

Some informative signs -




Road marking

Road marking is a set of lines and designs painted or installed on the road surface. Road marking is done to demarcate the places for smooth movement of traffic, parking of vehicles or no parking to facilitate the road. In other words, road marking is done to discipline the drivers and pedestrians while walking on the road.

Middle Lines: For two-lane roads

A two-way road, which is not divided by any railing or installation, is the central line separating the flow of traffic coming from opposite directions and allowing traffic movement. The middle line is of the following types - Single broken line, single continuous barrier line, a double line.


Single and double continuous lines, whether white or yellow, should not be crossed or walked over.



Single broken line



Single white line



Double white lines are used where visibility is restricted in both directions. Traffic coming from any direction is not allowed to cross the middle line.

Single yellow line cannot be crossed except by taking a right turn or taking a U-turn.

Those who use road should have thorough knowledge about these signs. These signs not only inform about direction, they also help in making traffic smooth and comfortable.



Double white lines

Role of Non-government-organizations and that of publicity networks in road safety

Despite the government's best efforts, there has been seen no decrease in the number of road accidents. Therefore, the government has invited NGOs to take social responsibility by contributing in the mission of controlling road accidents. Thus, it is also the responsibility of NGOs to help in overcoming those short comings that are still creating obstacles in the way of curbing road accidents. NGOs can give their cooperation to NHAI, State Public Works Department and Local Development Authority etc. so as to share the responsibility in this matter. To achieve their objective these government departments alongwith NGOs should release annual report regarding road accidents. These NGOs in cooperation with the government organisations should identify black spots and try to remove them with the help of related departments so as to avoid accidents and save precious lives. Besides this, there is need of involvement of public participation in this movement by motivating each and every person. To fulfill this objective, it is also required that the public and the NGOs of that area should be awarded and honored where traffic rules are



Single yellow line



being adhered to strictly, where the number of accidents are decreasing and where the public is awakened enough regarding this matter. Such honors and rewards will set examples for others to follow. This can only be possible if everyone understands their responsibility.

Moreover, the role of publicity network is equally important in

this matter. Publicity network helps in giving direction to public participation. Publicity media can help in spreading awareness at the ground level that will directly be beneficial in dealing with the issue. For this objective many publicity media can be used such as television,



documentary films, newspapers or any other type of effective publicity material. If our publicity network is powerful, then there will be no difficulty in spreading the message and awareness.

Efforts to be done at school level

School is an institution where each student acquires education. At school level it is easy to make students aware

about road safety because almost all students make use of roads while coming to school. Through the platform of school even the guardians of students can be sensitized on road safety because it is a common practice that guardians generally attend many meetings in schools regarding the welfare of their wards.



In order to publicize the rules of road safety, it is also important that every school should be directed to form a Road Safety Cell. The Cell should hold at least one meeting in every month. In the meeting, the activities of the previous month



should be reviewed and the blueprint of the proposed activities for the next month should also be outlined. All these activities should be compiled and presented to the road safety cell of transport department. During celebration of the Road Safety Week at the state level, Road Safety Cells of schools should be honoured and awarded. This will help in setting examples for other schools.

Setting up of Road Safety Gallery at school level is another effort in this direction. In these galleries the posters, paintings, slogans, paper cuttings regarding road safety rules and accidents should be exhibited. In this regard, it should be also mandatory that each class atleast once in a month is assigned the task of observation of real road safety activity. During the school activity a teacher should satisfy the curiosity of students regarding road safety.

Besides this, it should be ensured that students should be given time to time practical information or training during morning prayer assembly. To sensitize students regarding road safety and traffic rules various activities can be organized such as slogan writing, essay writing, debate and declamation, poster making and painting and so on. Moreover, to provide relevant information on road safety and traffic rules, the officials directly related to road safety department, should be invited to interact with students or they can also be taken to visit the concerned officials.

(Contributed by Curriculum Cell, SCERT Solan HP)

Exercise

- 1. What do you mean by road safety?
- 2. Name the authority that issues traffic signs.
- 3. What are the harmful effects if road safety rules are violated?
- 4. If you are present on the site of road accident, what you should do?
- 5. How public participation can curb and control road accidents? Write a paragraph of 500 words on the topic.
- 6. What activities will you propose to do to celebrate road safety week in your school?
- 7. What are your suggestions to make road safety campaign effective and successful?
- 8. What is the role of the following officials in prevention of road accidents-
 - Police official
 - Health official
 - Judge
 - Village Pradhan
 - A Samaritan
 - A Common Man

Activities:

- 1. What is the condition of traffic signs in your city?
- 2. Discuss these points with the teacher when opportunity arises:
 - Why is it important to pay attention to road signs while walking on road?
 - What will happen if we ignore traffic signs while walking on road?
 - Why some traffic signs are placed near schools and hospitals?

For Teachers

Explain the importance of road signs given in the chapter to the students




Safety-Activity to avoid harm

License-A formal and official permission from a governmental or other concerned authority to carry out some work, business or permission of ownership.

Campaign—A regular and systematic effort to achieve specific objective.

Awareness – The tendency of attention and focus on the issue of social development that faces obstacles.

Non-government organization (NGO)— A group of some people formed for fulfillment of a specific objective of social development. The driving force is selflessness and absence of vested interest.



सड़क सुरक्षा एवम् जन सहभागिता

पिछली कक्षाओं में आपने सड़क सुरक्षा की आवश्यकता और उसके नियमों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं, अपनी इन भाग्य रेखाओं को हम सुरक्षित मानते हैं, फिर भी आए दिन इन पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदलता रहता है। सड़क दुर्घटनाओं में जानमाल का नुकसान होना हमारी ही नहीं, वैश्विक समस्या है। पर दुःख इस बात का है कि अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं की औसत सबसे अधिक है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में ही सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? विश्व बैंक की अगस्त, 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में सालाना मारे जाने वाले व्यक्तियों में 11 प्रतिशत भारतीय होते हैं।

वर्तमान में ये सड़क दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं, जिसका समाधान ढूंढना अब हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। समय-समय पर सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बहुआयामी नीतियां लागू की जाती रही हैं किंतु इसके साथ-साथ यदि ईमानदारी से जन सहभागिता भी सुनिश्चित हो जाए तो सड़क दुर्घटनाओं पर और भी मजबूती से अंकुश लगाया जा सकता है।



जन सहभागिता क्या है?

समाज में समय-समय पर जन सहभागिता के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर विजय प्राप्त की जाती रही है। जन समुदाय जिस तेजी से समाज में बदलाव ला सकता है उस तेजी से नियम कानून नहीं ला सकते। जन सहभागिता से अभिप्राय जनता की भावना को समझना और उन्हें साथ लेकर चलना है। आज का युग सहभागिता का युग है। इस युग में हम जन सहयोग से छोटे-छोटे समूह बनाकर सड़क सुरक्षा नियमों, सड़क संकेतों तथा वाहन चलाने के नियमों के बारे में जन-जन को शिक्षित कर सकते हैं।

यदि आज हम अपने आसपास हो रही सड़क दुर्घटनाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें तत्काल सही अर्थों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।





जन सहयोग से जन आंदोलन करने वाली हिमाचल की किंकरी देवी समाज के लिए एक प्रेरणा स्त्रोत है। किंकरी देवी पर्यावरण संरक्षण के जनआंदोलन की सफल प्रणेता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गांव घांटो संगड़ाह की किंकरी देवी ने सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के खदानों में अवैज्ञानिक और अवैध ढंग से हो रही खदानों की खुदाई के विरुद्ध आवाज उठाकर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। 1985 में महिलाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की लडाई आरंभ की और अपनी आखिरी सांस तक इसे जारी रखा। विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ज्ञापनों के माध्यम से किंकरी देवी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक ओर जहां लोगों को जागरूक किया तो वहीं दूसरी ओर खनन माफिया को खुली चुनौती भी दी। 1987 में दायर जनहित याचिका पर दिसंबर 1991 में न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और तुरंत 60 खदाने बंद कर दी गई। किंकरी देवी की यह सफलता उनके अदम्य साहस और जनभागीदारी द्वारा प्राप्त हुई जिसके लिए उन्हें 2001 में प्रधानमंत्री द्वारा स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही किंकरी देवी को रानी झांसी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया।

वर्तमान समय में जन सहभागिता की आवश्यकता

आज बात चाहे समाज को नशे से मुक्त करने की हो या समाज को किसी अन्य बुराई से मुक्त करने की, जन सहभागिता के बिना आज कुछ भी संभव नहीं। अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य भी 'जन सहभागिता' और 'जन-सहयोग' जैसे जन आंदोलनों के माध्यम से सहज प्राप्त किया जा सकता है। बेहतर समाज निर्माण के लिए नियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी संदर्भ में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु बनाए गए यातायात नियमों के पालन को लेकर सभी को गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल पर बात न करने और गित सीमा का उल्लंघन न करने जैसे नियमों को जन-जन की आदत में शामिल करने की आवश्यकता है। इस जनांदोलन में सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तरह-तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों एवम् स्कूली बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित रैली, नुक्कड़ नाटक एवम् अन्य गितविधियों के माध्यम से यातायात सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। सड़क दुर्घटनाओं में असमय होने वाली इन मौतों को रोकने के लिए यातायात के नियमों की जानकारी होने के साथ ही हमें सतर्क रहने की भी जरुरत है। कई बार हम सही दिशा और कम स्पीड में चल रहे होते हैं, बावजूद आगे-पीछे से आने वाले अन्य वाहनों से टक्कर हो जाती है। सड़क हादसों को कम करने के लिए जरूरी है कि अभिभावक छोटे बच्चों को वाहन न चलाने दें और स्वयं भी वाहन चलाते वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट सहित सभी सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें।

हमारे देश में दिन-प्रतिदिन बढ़ती वाहनों की संख्या को देखते हुए अब यह अति आवश्यक हो गया है कि हम सड़क सुरक्षा से जुड़े मानकों को अनिवार्य रूप से अपनाएं क्योंकि हमारे पास अब मात्र यही एक विकल्प है जिससे निरंतर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में आशातीत कमी लाई जा सकती है।





नागरिक बोध

सड़क दुर्घटनाओं का गहनता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि अधिकांश दुर्घटनाएं नागरिक बोध (civic sense) के अभाव में होती हैं। समाज की यह सहज प्रवृत्ति रही है कि जब तक उसमें डर होता है, तब तक अनुशासन रहता है। डर समाप्त होते ही अनुशासन स्वत: समाप्त हो जाता है। अत: सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी नागरिकों में नागरिक बोध या आत्म अनुशासन की अनुभूति का होना अति आवश्यक है।




नेक व्यक्ति या सेमेरिटन(Samaritan) कौन?

गुड सेमेरिटन वह व्यक्ति होता है जो दुर्घटनाग्रस्त को नजदीकी अस्पताल ले जाता है और पुलिस अथवा मेडिकल इमरजेंसी को सूचित करके पीड़ित की मदद करता है। आमतौर पर देखा गया है कि यदि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त की खुलकर मदद करने आगे नहीं आता। जिसका मुख्य कारण ऐसे मामलों में मदद करने वाले को पुलिस द्वारा

परेशान किया जाना है। मददगार की इसी झिझक को खत्म करने के लिए अब सरकार ने नेक आदमी (Samaritan) के संरक्षण के नियम बनाए हैं। इस नियम के तहत मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति जिसने पुलिस को दुर्घटना के बारे में सूचित किया हो या जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले गया हो उसे अब



कोई भी पुलिस अधिकारी या अस्पताल प्रशासन अपना नाम, पहचान, पता या किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और न ही उसे वहां रुकने को विवश कर सकता है। इस नियम के दो लाभ हैं – पहला यह कि इस कानून से अनेक दुर्घटनाग्रस्त लोगों को समय रहते राहत सुविधाएं एवम् जीवनदान मिलने में मदद मिलेगी। दूसरे, इस नियम का लाभ यह होगा कि सड़क दुर्घटना होने पर कोई भी पीड़ित की सहायता करने से नहीं हिचिकचाएगा जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय पर सहायता और सुरक्षा के लिए मदद करने वाले लोगों की संख्या में दिनोंदिन आशातीत बढ़ोतरी होगी। परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में स्वत: कमी आएगी।



कल हमारे स्कूल में हमें सड़क सुरक्षा जागरूकता के बारे में बताया गया है और आज हम इसके लिए एक रैली

क्या बात है, आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो?

।अजय,



निकाल रहे हैं।



अजय स्कूल जाकर सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली में भाग लेता है



दादा जी,

सड़क सुरक्षा के

संदर्भ में नागरिक बोध

का अर्थ है सड़क पर

अपने साथ-साथ सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना और

यातायात के सभी नियमों

का पालन करना।

आजकल सड़क दुर्घटनाओं में जानमाल का नुकसान होना कितना आम हो गया है। अब तो अखबार इन्ही खबरों से भरे रहते हैं। जी पिता जी! सड़क सुरक्षा जागरूकता और नागरिक बोध के अभाव में सड़क पर की गई जरा सी लापरवाही भी जानमाल पर भारी पड़ती है।

एक सुबह राजेश अपने पिता जी के साथ

अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्ही तरीकों से लोगों को जागरूक कर सड़क सुरक्षा में जनभागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है।



शाम को अजय अपने दादा जी के साथ

दादा जी, मैने

जा सकती है।

हां बेटा, ये नागरिक बोध क्या सड़क सुरक्षा होता है? जागरूकता और नागरिक बोध के विकास से ही ये काम संभव है।





सड़क पर चलने का अधिकार

सड़क पर चलते हुए हमें सदैव इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को सड़क पर चलने का समान अधिकार है। अत: सड़क पर कब, किसे और किस तरह चलना है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। सड़क पर पैदल चलने वालों के साथ-साथ आपातकालिक वाहन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस के हूटर वाहन आदि जैसे कुछ विशेष वाहनों को कानून द्वारा विशेष सुविधा प्रदान की गई है, जिसकी जानकारी सभी वाहन चालकों को होना अति आवश्यक है। इसके अलावा वाहन चालकों के साथ साथ सड़क पर पैदल चलने वालों को सड़क नियमों और संकेतों की जानकारी होना जरूरी है ताकि सड़क पर लापरवाही से होने वाले हादसों केआंकड़ों में साल दर साल गिरावट आती रहे।

यातायात संकेत

हमें सड़क पर चलने का अधिकार तो है परंतु सड़क पर चलने से पूर्व हमें अपने कर्त्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। यातायात संकेत एक ओर जहां हमारे सड़क पर चलने के अधिकार को और मजबूत बनाते हैं वहीं दूसरी ओर इनके पालन की जिम्मेदारी भी देते हैं। अत: सड़क पर चलते समय अपने कर्त्तव्यों का स्मरण करते हुए दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें यातायात संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए।



आगे स्कूल है

यातायात संकेत मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं -

- गादेशात्मक संकेत
- ❖ वितक संकेत
- मूचनात्मक संकेत

आदेशात्मक संकेत

आदेशात्मक संकेत मूल रूप से दर्शाते हैं कि सड़क पर चलते समय व्यक्ति को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक संकेत गोल आकृति में होते हैं। 'रुकिए' तथा 'रास्ता दीजिए' के सड़क संकेत क्रमश: अष्टभुजाकार और त्रिकोणाकार होते हैं। इन संकेतों को अनदेखा करने पर हम स्वयं ही बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हैं और उसका प्रतिफल भारी जुर्माने और दंड के रूप में हमें मिलता है।

प्रमुख आदेशात्मक सड़क संकेत -



सचेतक सड्क संकेत

सचतेक सड़क संकेत वाहन चालक को आगे की सड़क पर आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देने की भूमिका निभाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हर वाहन चालक को इनका पालन ईमानदारी से करना चाहिए। इन सड़क संकेतों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही तो नहीं की जा सकती है परंतु ये संकेत वाहन चालक के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी उपेक्षा करने से किसी भी वक्त किसी भी प्रकार एवम् स्तर की ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर सकता है। सचेतक संकेत त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं।

कुछ सचेतक सड़क चिह्न -



सूचनात्मक सड्क संकेत

प्रशासन का सड़क के किनारे सूचनात्मक संकेत लगाने का उद्देश्य सड़क पर चलने वालों को गंतव्य स्थान की दिशा, दूरी एवम् सड़क के आसपास उपलब्ध सुविधाओं

आदि की जानकारी देना होता है। इन संकेतों का अनुसरण करने से सड़क पर चलने वालों का समय तो बचता ही है पर इसके साथ-साथ उन्हे इधर-उधर भटके बिना अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। सामान्यत: ये



संकेत नीले रंग की चौकोर या आयताकार आकृति में होते हैं।

रोड़ मार्किंग

सड़क की सतह पर चित्रित या स्थापित लाइनों और डिजाइनों के समूह को रोड़ मार्किंग कहते हैं। रोड़ मार्किंग सड़क को सुविधाजनक बनाने के लिए यातायात की सुचारू आवाजाही, वाहनों की पार्किंग या नो पार्किंग के लिए स्थानों का सीमांकन करने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रोड़ मार्किंग सड़क पर चलते समय वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को अनुशासित करने के लिए की जाती है।

बस स्टॉप


स्थान पहचान चिह्न



एकल खंडित सफेद रेखा



एकल स्थूल सफेद रेखा



दोहरी स्थूल सफेद रेखा



एकल स्थूल पीली रेखा

मध्य रेखाएं: दो लेन वाली सड़कों के लिए

दो मार्गीय सड़क, जिसे किसी रेलिंग या संस्थापना द्वारा विभाजित नहीं किया गया है, को मध्य रेखा ही विपरीत दिशा से आने वाले यातायात के प्रवाह को अलग करती है और यातायात संचालन को सुलभ बनाती है। मुख्यत: मध्य रेखाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है – एकल खंडित रेखा (सिंगल ब्रोकन लाइन), एकल निरंतर स्थूल रेखा (बैरियर लाइन), दोहरी रेखाओं का संयोजन।

एकल तथा दोहरी स्थूल रेखाएं, चाहे वह सफेद हो या पीली, को किसी भी स्थिति में पार नहीं किया जाना चाहिए और न ही उसके ऊपर चलना चाहिए। दोहरी निरंतर सफेद/पीली रेखाओं का उपयोग वहां किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंधित हो। किसी भी दिशा से आने वाले यातायात को इस प्रकार की मध्य रेखा को पार करने की अनुमित नहीं होती।

एकल पीली रेखा को दाएं मुड़ने या यू-टर्न लेने के अतिरिक्त किसी और स्थिति में पार नहीं कर सकते।

सड़क उपयोगकर्ताओं को सूचनात्मक संकेतों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। ये संकेत जहां एक ओर सड़क पर चलने वालों को दिशा दर्शाते हैं वहीं दूसरी ओर यातायात को सुचारू बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इनका पूरा सम्मान और पालन करने में ही सड़क का प्रयोग करने वालों के हित निहित रहते हैं। इन संकेतों के द्वारा यातायात सुरक्षा को और भी मजबूत करने में सहायता मिलती है।

सड़क सुरक्षा में गैर सरकारी संगठनों तथा प्रचार तंत्रों की भूमिका

सरकार के भरसक प्रयासों के बाद भी सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, अत: सरकार अब गैर सरकारी संगठनों को निमंत्रण दे रही है कि वे आगे आकर अपनी समाजोपयोगी भूमिका निभाएं। ऐसे में गैर सरकारी संगठनों का भी यह उत्तरदायित्व बनता है कि वो सरकार के साथ मिलकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयासों में आ रही समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करें। एनएचएआई(NHAI), राज्य लोक निर्माण विभाग, स्थानीय विकास प्राधिकरण इत्यादि का सड़क सुरक्षा संबंधी उत्तरदायित्व ऐसे ही गैर सरकारी संगठनों के निरंतर सहयोग से पूरा हो पाएगा। अपने लक्ष्य की प्राप्त के लिए

इन सरकारी विभागों को गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर समय-समय पर सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित वार्षिक बुलेटिन प्रकाशित करना चाहिए। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों को सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सड़कों के ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें दूर करने में संबंधित विभागों की मदद करनी होगी ताकि भविष्य में इनसे होने वाली दुर्घटनाओं से अमूल्य जीवन को बचाया जा सके।



इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि जिस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं कम हो रही हों, यातायात के नियमों का सही से पालन हो रहा हो एवम् जहां जनता द्वारा अपनी सहभागिता का अच्छे से निर्वहन किया जा रहा हो, वहां की जनता को सरकार एवम् गैर सरकारी संगठनों द्वारा पारितोषिक इत्यादि से पुरस्कृत किया जाए ताकि वे दूसरों के लिए उदाहरण बन सकें। ऐसा सभी के द्वारा अपने-अपने दायित्व का सही से पालन करने पर ही संभव हो पाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रचार तंत्रों की भूमिका भी सड़क दुर्घटनाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। प्रचार तंत्र का सीधा संबंध जन सहभागिता को दिशा देने से हैं। जन प्रचारतंत्रों के माध्यम से जब जन समुदाय इस समस्या के प्रति धरातल पर जागरूक होगा तो इसका सीधा लाभ समाज को मिलेगा। इस उपलब्धि के लिए टेलीविजन, जन वृत्तचित्रों, समाचार पत्रों एवम् अन्य किसी भी प्रकार की प्रभावी प्रचार सामग्री को आधार बनाया जा सकता है। जब हमारा प्रचार तंत्र और अधिक मजबूत होगा तो जन-जन तक अपनी बात पहुंचाने में हमें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी।

विद्यालयी स्तर पर किए जाने वाले प्रयास

विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहां आकर हर वर्ग का छात्र विद्या अर्जित करता है। विद्यालय स्तर से छात्रों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना सबसे आसान है क्योंकि अधिकतर बच्चे विद्यालय आने-जाने के लिए सड़क का प्रयोग करते हैं। विद्यालय एक ऐसा मंच है जहां छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को किसी न किसी बैठक के जिए सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति सहज ही की जा सकती है।

सड़क सुरक्षा के नियमों के व्यापक प्रसार प्रचार के लिए यह भी आवश्यक है कि राज्य के सभी राजकीय तथा गैर राजकीय विद्यालयों में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन अनिवार्य रूप से हो। उन प्रकोष्ठ के सदस्यों की बैठक माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जाए जिसमें पिछले माह किए गए सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की समीक्षा कर अगले माह किए जाने वाले

कार्यों की रूपरेखा बनाने के उपरांत प्रकोष्ठ द्वारा की गई गतिविधियों को संकलित कर जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग को उनसे अवगत करवाया जाए। प्रदेश स्तर पर मनाए जाने वाले विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह या माह के दौरान विद्यालयों के ऐसे सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाए ताकि वे औरों के लिए भी आदर्श बनें।

विद्यालयी स्तर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में सड़क सुरक्षा गैलरी विकसित कर वहां

सड़क सुरक्षा संबंधित पोस्टर पेंटिंग, स्लोगन, नियमावली एवम् दुर्घटनाओं से संबंधित खबरों की कटिंग का प्रदर्शन करवाया जाए। इस क्रम में विद्यालय की प्रत्येक कक्षा को प्रत्येक माह कम से कम एक बार सड़क सुरक्षा का वास्तविक अवलोकन करवाने की गतिविधि करना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान अध्यापक द्वारा सड़क सुरक्षा के विषय में जानकारी प्रदान कर बच्चों की जिज्ञासा की पूर्ति करवाया जाना भी स्कूली क्रियाकलाप में शामिल होना चाहिए।

इसके अलावा विद्यालयी प्रशासन द्वारा प्रार्थना सभा में छात्र-छात्राओं को निरंतर सड़क सुरक्षा से संबंधित व्यावहारिक जानकारी या प्रशिक्षण देना भी सुनिश्चित करना होगा ताकि इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति छात्र-छात्राओं को संवेदनशील बनाने के लिए







विद्यालयों में नारा लेखन, निबंध लेखन, वाद-विवाद, पोस्टर-मेकिंग, पेंटिंग प्रतियोगिताएं इत्यादि आयोजित करवाई जा सकती हैं तथा उन्हें समय के अनुरूप सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों को विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकता है अथवा उन्हें भ्रमण करवा संबंधित अधिकारियों से मिलवाया जा सकता है।

(पाठ्यचर्या प्रकोष्ठ, एससीईआरटी सोलन, हिप्र की निर्मिति)

अभ्यास

- 1. सड़क सुरक्षा से आप क्या समझते हैं?
- 2. यातायात के संकेत किसके द्वारा जारी किए जाते हैं?
- 3. सड्क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं?
- 4. यदि आप किसी दुर्घटना स्थल पर हों तो आपको क्या करना चाहिए?
- 5. जन सहभागिता द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है? इस विषय पर पांच सौ शब्दों का अनुच्छेद लिखें।
- 6. अपने विद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए आप क्या-क्या करना चाहेंगे?
- 7. सड़क सुरक्षा अभियान को ज्यादा सफल और प्रभावी बनाने के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं?
- 8. सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में निम्न अधिकारियों की क्या भूमिका रहती है?
 - पुलिस अधिकारी
 - स्वास्थ्य अधिकारी
 - न्यायाधीश
 - ग्राम प्रधान
 - नेक व्यक्ति
 - साधारण व्यक्ति

गतिविधि:-

- 1. अपने शहर में सड़क चिहनों की स्थिति पर एक रिर्पोट तैयार करें।
- 2. कक्षा में अपने अध्यापक और आपस में अवसर मिलते ही चर्चा करें-
 - सड़क पर चलते हुए सड़क सुरक्षा चिह्नों का ध्यान रखना क्यों और कितना आवश्यक है?
 - अगर हम सड़क पर चलते हुए सड़क सुरक्षा चिह्नों को अनदेखा करेंगे तो क्या होगा?
 - कुछ सड़क सुरक्षा चिह्न खासतौर पर विद्यालय और अस्पताल के पास क्यों लगाए जाते हैं?

अध्यापकों के लिए

इस अध्याय में दिए गए सभी चिहनों के महत्त्व के बारे में विद्यार्थियों को समझाएं।



लाइसेंस - किसी अधिकृत विभाग या संस्था द्वारा किसी कार्य को करने या किसी वस्तु को रखने, इस्तेमाल करने एवम् क्रय-विक्रय करने की औपचारिक और अधिकारिक अनुमित।

अभियान - किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाने वाला सतत् प्रयास।

जागरूकता - किसी भी समाजिक विकास में गतिरोधक विषय में सचेत या चौकन्ना होने की स्थिति या भाव।

गैर सरकारी संगठन – निस्वार्थ सेवा हेतु एकत्रित हुए लोगों का वह समूह जिसका उद्देश्य किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत लाभ न होकर कर सामाजिक उत्थान होता है।



Road Accidents: Causes and Means to Prevent them

In chapter 5, we have studied about man-made disasters. Now we know what are those man-made disasters. Those disasters for which human beings are responsible are called man-made disasters. In this chapter we shall study in detail about: causes of road accidents or those mistakes that cause accidents; help and medical assistance to road accident victims; the devices of road safety; and about right maintenance of vehicles.

Definition of accident

The incident that is uncontrolled and results in tragic outcome is known as accident. Due to the advancement in the means of transport, the number of vehicles is increasing every day. The development of roads has not been able to match the increase in number of vehicles. Due to this,

the lack of safety is always prevailing and this leads to increase in number of accidents. Government of India is very much concerned **Modern and latest** about it. As per the review 2019 of the Ministry of Road Transport and Cat Eye Road Stud Highways, the projects for construction of roads of the length of 5494 Kms were approved for the year 2018-2019. In the year 2019-2020

Innovative Devices

- CCTV Cameras
- devices on toll plazas
- **❖** Automatic road signal

about 5958 kms of national highways were made. In order to prevent accidents on these highways, many innovative devices are being installed.

For the development of any modern economy, roads play very important role. Roads connect manufacturers with market, labor with jobs, students with schools and sick with hospitals. Undoubtedly, roads can play an important role in development if they are safe for travellers. During the World Road Safety Week of WHO, June 2021, a report was presented. According to this report, more than 1.35 million deaths are caused by road accidents in the world and more than 50 million people suffer serious injuries. This data is a matter of concern for the world as well as for our country. Keeping in view the seriousness of the issue, it is important that all aspects related to road accidents are thoroughly analyzed and suitable solutions are found to deal with this problem.

Common causes of road accidents

Violation of traffic rules

As per the data, 76% of road accidents in our country are caused by the violation of traffic rules such as over speeding and driving on the wrong side of road. The other reason is the disregard of such safety devices such as seat belt and helmet which leads to road accident and loss of life.

Road Transport Engineering

This is a shocking fact that among the total numbers of road accidents that happen in our country, the majority number is that of two-wheeler drivers and pedestrians. In India, road transport engineering and planning is limited only to the objective of expansion of roads. Due to this many black spots come up in many roads and national highways. Black spots are those places where the possibility of accidents is greatest.



Driving in the state of intoxication.

The data shows that the other main reason of road accident is to drive under the influence of alcohol. The Government of India has taken this matter seriously. Therefore, the government has made the provision of monetary penalty and imprisonment under the section 185 of the Motor Vehicle Act 1988. Besides this, the vehicle of the offender can also be impounded under this Act.

Shortage of driving schools

If we examine closely the data of the year 2016, we come to know that in 80% of road accidents, drivers are directly responsible for the accidents.

It is obvious that drivers are not suitably trained. This reflects the shortage of driving schools in the country.

Over speeding

The data collected over the years on road accidents, it emerges that most of accidents take place on account of over speeding. The probability of injury and fatality in road accidents increases in case of over speeding.



Factors that divert attention of driver

While driving, driver's attention should be totally on road and driving. The major factor that diverts the attention of driver is mobile phone. Therefore, make it point to not use mobile phone while driving. If it is unavoidable and necessary, park your vehicle on the side of road and then converse on mobile phone. Besides this, the other factors that divert the attention of driver are - adjusting the mirrors of vehicle while driving, listening to songs on radio and other devices in vehicle, eating while driving etc.

Problem of law enforcement

In the direction of the prevention of road accidents, the government of India has tried hard to make the provisions very stringent by amending the Motor Vehicle Act 2021. Besides this, new engineering standards have been set for road safety. Despite this, the menace of road accidents is increasing every day. This reflects that there is still something lacking in the enforcement of the law and rules of road.

Bad Roads

In our state roads are zigzag and curvy and, in many places, the roads are full of potholes. These factors create many problems for drivers. On rural roads there are no parapets and proper road markings. This is an open invitation to accidents. Therefore, besides the enforcement of the law, it is also important that the condition of roads is improved.

The table of road accidents that took place in Himachal in last few years

Sr. No	Year	Road Accidents	Number of deceased	Number of injured	
1	2014-15	3012	1179	5522	
2	2015-16	3168	1271	5764	
3	2016-17	3114	1203	5452	13
4	2017-18	3110	1208	5551	,00
5	2018-19	2873	1146	4904	
6	2019-20	2239	892	3224	

The data for the year 2019-20 has shown a drop in the rate of accidents as compared to that of 2018-19. During this period, 22.06% less accidents have been recorded. The number of the dead in accidents has shown a fall of 22.07% and there has been a drop of 34.27% in the number of the injured.

Source: Road Accident Data Management System (RADMS)

Measures to control road accidents

At individual level

A study by World Bank in 2021 shows that out of the total accidents taking place in the world, 10% occur in India only. This is a matter of concern and deliberation. Therefore, on individual level we can decrease the number of road accidents by abiding by the traffic rules.

On governmental and social level

Number of accidents can be brought down by taking some steps at government and social level-

- Spreading awareness about road safety among the citizens.
- Framing road safety councils and committees on state and district level
- The provision of strict penalty legislation and fine.
- For surveillance, the use of innovative devices.

For students-

- ❖ What are those point to keep in mind while driving two-wheeler?
- ❖ What do you understand by the use of innovative devices on roads?
- ❖ What are the general rules for those who use roads?
- What are those precautions that have to be observed by those who drive four-wheeler vehicles?
- ❖ Fill in the blanks:
 - ☐ Most of accidents take place due tospeed
 - ☐ Sectionof Motor Vehicle Act is imposed on those who drive under the influence of alcohol
 - $\hfill\square$ The attention of driver is diverted when he uses.....while driving.
- What are the general causes of road accidents?
- What efforts need to be done to bring down the percentage of road accidents?
- Start a discussion and interactive session in classroom regarding the ill effects of road accidents?

Providing help to the victims of road accidents

The life of any victim of road accident can be saved if timely medical help is provided. One hour after the injury caused in accident is very crucial. If within this hour, suitable initial medical assistance is provided, the seriousness of injury can be controlled and the life of the victim can be saved. That is why



This is also the policy of trauma centers that the probability of saving life of the victim of accident can be increased if the help is provided within the Golder Hour. Therefore, it is of utmost importance that in the case of emergency, first aid, fast transportation and medical assistance are provided by trained personnel well in time.

As far as possible, within this golden hour the victim of accident should be provided first aid and quick arrangements should be made to take the victim to the nearest hospital or medical assistance center. For this, the central and state governments have started many schemes.

Rights of Good Samaritan

As per the rights provided by Law to a Samaritan, his name and address cannot be asked by the police or the medical department against his will. Further, police and hospital official cannot force Samaritan to disclose his name and address or any other personal information. They cannot be asked to stay there or to be part of any investigation against their will.

If a Good Samaritan desires to participate voluntarily in any inquiry, he shall be interrogated as per his convenience. Although the Good Samaritan voluntarily wants to become an eyewitness then he will be allowed to provide evidences on the affidavit.

First aid

The person affected by accident need to be provided first aid at any cost. **First aid**, its knowledge and application can save any casualty. Therefore, it is important that each vehicle should keep a first aid kit. Whatever minimum medical assistance is provided to an injured person before he is shifted to near hospital is known as first aid. In case of emergency any useful item can be put to use to give relief to the victim of accident.

Golden Principles and rules of first aid

These are the golden principles and rules of first aid

- To find and locate the victims and injured at an earliest at the site of accident.
- Time is not to be wasted in asking unnecessary questions
- As far as possible, the patient should be kept in warm and comfortable condition



- If the injured is in his senses and is in the state of shock, he should be consoled and advised to not to feel anxious.
- In case of bleeding due to injury, first of all the care should be taken to stop bleeding
- The injured person should be shifted to the nearest hospital or medical assistance center at an earliest.


This is a general belief that death of the victims of accident occurs due to serious injury or excessive blood loss. But it is fact that the common reason of the death on road accident is due to the obstruction in the supply of oxygen to the victim. In most of the cases, due to serious injuries to the body and due to shock, there takes place obstruction in the air passage and this obstruction of even less than four minutes can become the cause of death. To save the victim from this, check breathing of the patient and follow the rule of ABC

The Rule of ABC

A: Open air way or air passage: after accident, ensure whether the air passage of the injured is open or not. The air enters and exits through the air passage. If this passage is obstructed, raise the chin in the manner that the head of the injured turns backward.

B: Examination of breathing: having removed the obstruction in air passage, examine closely the breathing for 5 - 10 seconds. Place your ear near his mouth and feel his breathing; watch if his chest is moving up and down. If he is heaving heavily, that means he is uncomfortable in breathing. In this situation give him mouth to mouth resuscitation. Continue to do so till he starts breathing normally.

C: Examination of circulation: to check circulation, examine bleeding. If it is bleeding excessively, clean the wound and put pressure on the wound with a piece of cloth or bandage to stop bleeding. Raise those parts of body that are bleeding.



Always Remember:
For help call 108 to inform about accident.
Call 1033 in case of accident on national highways.

The life of any person suffering injuries in road accident can be saved if he is provided first aid and medical assistance at an earliest. Therefore, we should help the accident victims and save their precious lives.

For students:


- ❖ What are those schemes that have been started by the government for the victims of road accidents?
- ❖ What is the rule of ABC in first aid?
- Suppose you are going somewhere and you notice that a person has met with an accident, how will you provide first aid to the victim?

Safety devices

While driving it is very important to use safety devices. Not to use these safety devices while driving can endanger our lives. Therefore, we should always use seat belts while driving our vehicle. This can save us from serious and fatal accidents. Similarly, helmets should always be used while driving two-wheeler. Not using these safety devices can be fatal and this can also land our families in trouble. Always remember that it is our legal and moral duty to use safety devices while driving.

List of Safety Devices

- Helmet
- Seat Belt
- Highway Guard Rails
- Traffic Sign Boards
- Cat Eye Road Stud
- Speed Breaker
- Road Safety Cones







Always Remember: Always inspect the underneath and the back of vehicle before starting the vehicle.

For students -

- ❖ What is that safety device that should be used by two-wheeler driver?
- Why is seat belt used while driving?
- Where is speed breaker generally used?
- Write the names of any four safety devices?

Proper maintenance of vehicle

It is common these days that most of people have their own vehicles. These days every person wants to purchase a vehicle according to his/her needs. Whether it is four-wheeler or two-wheeler, the best vehicle is the one that fulfills our needs. Vehicle should never be purchased or owned as status symbol. It is not difficult to purchase expensive vehicle, but it is very expensive to maintain it. regularly.

The proper maintenance of vehicle is a very important aspect, but most of the time we

ignore it. The proper maintenance of vehicle gives it long life. It is equally important to keep your vehicle clean. The mechanical maintenance of vehicle at regular intervals is of utmost importance. Vehicle should be serviced at regular intervals. Besides this, regular inspection of battery, engine oil, change of engine oilat right time and regular inspection of electrical system are essential. This keeps vehicle in healthy condition and this is very important.

☐ Properly and well-maintained vehicle saves fuel and money. It also decreases the maintenance cost of vehicle. This type of vehicle remains dependable and valuable whenever it is put on sale.

 \square It is always advisable to get the servicing of own vehicle done by a trained vehicle expert.

Such trained vehicle expert has adequate knowledge, proper tools and machines to detect faults in vehicle as well as to set them right.

☐ We should always use the motor oil and the spare parts which are ISI or ISO marked. Cheap motor oil or non ISI or ISO marked spare parts not only damage the engine but also decrease the efficiency of vehicle.

 \square Special care should be given to the maintenance of tyres of vehicle for fuel efficiency and safety measures.

 \square For the better maintenance of vehicle, the air pressure of tyres should be got inspected at regular intervals.

Proper maintenance of vehicle requires

- **❖** Regular servicing of vehicle
- Change of the oil
- Inspection of brake
- Change leather pads
- Check air pressure of tyres
- Horn of vehicle
- Lights of vehicle
- Fog lights
- ❖ Pollution check

(Contributed by Curriculum Cell, SCERT Solan HP)



- 1. What do you mean by accident? What are those measures that should be adopted to prevent and control accidents?
- 2. Fill in the blanks:
 - At regular intervals.....of vehicle should be got done.
 - We should always use......and.....marked motor oil.
 - The inspection of air pressure inshould be done regularly
 - Get your vehicle inspected at regular intervals and change.....
- 3. What are those points that should be kept in mind for the proper maintenance of vehicle?

सड़क दुर्घटनाएं - कारण एवम् रोकथाम के उपाय

अध्याय पाँच में हमने सामान्य मानव जिनत आपदाओं के विषय में पढ़ा है। हम जानते हैं कि मानव जिनत आपदाएं क्या होती हैं? ऐसी आपदाएं जिनके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार होता है, मानव जिनत आपदाएं कहलाती हैं। सड़क दुर्घटनाएं इसी श्रेणी में आती हैं। इस अध्याय में हम सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण, सड़क पर दुर्घटना पीड़ितों की सहायता, सड़क सुरक्षा के उपकरण, वाहन का सही रखरखाव इत्यादि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

दुर्घटना क्या है?

अनियंत्रित एवम् दु:खद परिणाम वाली आकस्मिक घटना को दुर्घटना (Accident) कहते हैं। यातायात के साधनों में उत्तरोत्तर विकास के कारण सड़क पर वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिस गित से वाहनों की संख्या बढ़ रही है उस गित से हमारे देश में सड़कों का विकास नहीं हो पा रहा है। इस कारण सड़क पर असुरक्षा की स्थिति बराबर बनी रहती है जो निरंतर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि करती हैं। सरकार

इस विषय को लेकर काफी संवेदनशील हैं। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वर्षात् समीक्षा-2019 के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 5494 कि.मी. लंबाई की सड़क परियोजनाओं तथा वर्ष 2019-20 में लगभग 5958 कि.मी. राजमार्गों का निर्माण किया गया। त्वरित विकास एवम् सड़क पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करते हुए इन परियोजनाओं में नवाचार उपकरणों को शामिल किया जा रहा है।

नवाचार उपकरण

- CCTV कैमरा
- अत्याधुनिक उपकरण युक्त टोल प्लाजा
- 🔸 कैट आई रोड स्टड
- ♦ ऑटोमेटिक रोड सिग्नल

किसी भी अर्थव्यवस्था की गित को रफ्तार देती सड़कें देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़कें उत्पादकों को बाजार से, श्रिमकों को नौकरियों से, छात्रों को स्कूल से और बीमारों को अस्पताल से जोड़ती हैं। हालांकि सड़कें विकास में केवल तभी योगदान दे सकती हैं जब वे यात्रियों के लिये सुरक्षित हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जून, 2021 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 1.35 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं एवम् 50 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर शारीरिक चोटें आती हैं। विश्व के साथ–साथ हमारे देश के लिए भी उक्त आंकड़ा गंभीर चिंता का विषय है। विषय की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए इस संदर्भ में आवश्यक उपायों की खोज की जाए।

सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण

यातायात नियमों का उल्लंघन

आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 76 प्रतिशत दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग और गलत साइड पर गाड़ी चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों की उपेक्षा करना भी सड़क दुर्घटनाओं में जान की हानि का कारण बनता है।

यातायात इंजीनियरिंग

यह सत्य चौंकाने वाला है कि हमारे देश में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वालों की है। भारत में सड़क यातायात इंजीनियरिंग और नियोजन केवल सड़कों को विस्तृत करने तक ही सीमित है, जिसके कारण कई बार सड़कों और राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट (Black Spot) बन जाते हैं। ब्लैक स्पॉट वे स्थान होते हैं जहां सड़क दुर्घटना की संभावना सबसे अधिक रहती है।



नशे की हालत में वाहन चलाना

दुर्घटनाओं के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि दुर्घटनाओं के अन्य कारकों में से एक मुख्य कारक मद्यपान कर वाहन चलाना है। इसलिए हमारी सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और मद्यपान कर वाहन चलाने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अंर्तगत आर्थिक दंड के साथ–साथ कारावास की सजा का प्रावधान किया है। इसके अलावा इस अपराध के लिए वाहन चालक के वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

ड्राइविंग स्कूलों की कमी

गौर से देखने पर वर्ष 2016 के आंकड़े दर्शाते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली 80 प्रतिशत मौतों के लिए वाहन का चालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। ऐसे में वाहन चालक का पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं होना जाहिर तौर पर देश में अच्छे ड्राइविंग स्कूलों की कमी को ही रेखांकित करता है।

बहुत तेज गति से वाहन चलाना

विभिन्न वर्षों के सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों से सामने आया है कि अधिकतर दुर्घटनाएं तेज रफ्तार से वाहन चलाने से होती हैं। इससे चोट लगने की गंभीरता बढ़ती है। वाहन की गित जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक दुर्घटना होने पर जोखिम होगा।



ड्राइवर का ध्यान बंटाने वाले कारक

वाहन चलाते समय वाहन चालक का पूरा ध्यान सड़क एवम् गाड़ी चलाने पर ही होना चाहिए। ड्राइवर का ध्यान बंटाने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन है। इसिलए भूले से भी ड्राइविंग के दौरान फोन न करें और न ही सुनें। यदि बहुत आवश्यक हो तो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर ही मोबाइल पर बातचीत करें। इसके अतिरिक्त वाहन चलाते समय ध्यान भटकने के अन्य संभावित कारक भी हैं जैसे ड्राइविंग करते समय गाड़ी के शीशे एडजस्ट करना, वाहन में रेडियो या अन्य उपकरणों पर गाने सुनना एवम् वाहन चलाते समय खाने-पीने पर ध्यान होना इत्यादि। गाड़ी चलाते समय ध्यान इन सब बातों पर न होकर सिर्फ सड़क और ड्राइविंग पर होना चाहिए।

कानून प्रवर्तन की समस्या

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर इसके प्रावधानों को बेहद कठोर करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त वाहन सुरक्षा के लिए नए इंजीनियरिंग मानक भी लागू किए गए हैं। इन प्रयासों के बावजूद भी सड़क सुरक्षा का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है जो इस ओर संकेत करता है कि भारत के कानून प्रवर्तन में कहीं न कहीं कोई कमी शेष है।

खराब सडकें

सड़कों पर पड़े गड्ढे भी वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। ग्रामीण सड़कों पर पैरापिट और सड़क मार्किंग का न होना भी निरंतर दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों की हालत में सुधार करना भी आवश्यक है।

हिमाचल में पिछले कुछ वर्षों में हुए सड़क हादसों की सारणी Source: Road Accident Data Management System (RADMS)					
क्रम संख्या	वर्ष	सड़क दुर्घटनाएं	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	
1.	2014-15	3012	1179	5522	
2.	2015-16	3168	1271	5764	
3.	2016-17	3114	1203	5452	
4.	2017-18	3110	1208	5551	
5.	2018-19	2873	1146	4904	
6.	2019-20	2239	892	3224	
वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में इन आंकड़ों में कमी आई है। इस दौरान 22.06% दुर्घटनाएं कम दर्ज की गई					

है। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 22.07% और घायलों की संख्या में 34.27% की कमी आई है।



दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय

व्यक्तिगत स्तर पर

विश्व बैंक के 2021 के एक अध्ययन के अनुसार पूरे विश्व में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 11 प्रतिशत दुर्घटनाएं अकेले हमारे देश में ही होती हैं। यह अत्याधिक चिंता का विषय है। व्यक्तिगत स्तर पर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर हम सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं।

सरकारी तथा सामाजिक स्तर पर

सरकारी तथा सामाजिक स्तर पर कुछ कदम उठाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है, जैसे-


- नागरिकों को सड्क सुरक्षा शिक्षा द्वारा जागृत करना।
- राज्य एवम् जिला स्तर पर सङ्क सुरक्षा परिषदों तथा सिमितियों का गठन करना।
- कठोर दंड विधान और जुर्माने का प्रावधान।
- कानून प्रवर्तन के लिए नवाचार साधनों का प्रयोग।

छात्रों के लिए -

- दोपहिया वाहन चलाते समय िकन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- सड़कों पर प्रयुक्त नवाचार उपकरणों से आप क्या समझते हैं?
- सड्क उपयोगकर्ताओं के लिए सड्क सुरक्षा के सामान्य नियम क्या हैं?
- ❖ चार पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?
- खाली स्थान भरो:
 - ♦ अधिकतर सड़क दुर्घटनाएंरफ्तार से वाहन चलाने से होती हैं।
 - ♦ मद्यपान कर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारालगाई जाती है।
 - ड्राइविंग करते समय का प्रयोग करने से ड्राइवर का ध्यान बंटता है।
- सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण क्या हैं?
- 💠 सड्क दुर्घटनाओं की प्रतिशतता कम करने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा?
- 💠 सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता

किसी भी दुर्घटना पीड़ित को समय पर चिकित्सा सहायता देकर उसका जीवन बचाया जा सकता है। चोट लगने के बाद का एक घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि इस एक घंटे के भीतर उचित प्राथमिक सहायता पहुंचाई जाए तो चोट की गंभीरता को कम कर पीड़ित का जीवन बचने की संभावना को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है। इसी कारण इसे स्वर्णिम समय घंटा (Golden Hour) कहते हैं।



ट्रॉमा केंद्रों की भी यह स्वीकार्य नीति है कि चोट लगने के एक घंटे के भीतर (स्वर्णिम समय घंटा) प्राथमिक उपचार देकर पीड़ितों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। अत: आवश्यक है कि दुर्घटना होने पर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में उपचार के लिए निश्चित समयाविध के भीतर प्रशिक्षित कार्मिकों के द्वारा आरंभिक स्थिरता, तीव्र परिवहन तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं।

जितना संभव हो इस एक घंटे के भीतर दुर्घटना पीड़ित तक समुचित चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोग घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देकर शीघ्रता से नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा सहायता केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं भी शुरू की हैं।

नेक व्यक्ति या गुड सेमेरिटन (Good Samaritan) के अधिकार

गुड सेमेरिटन या नेक व्यक्ति को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवम् सुरक्षा के अंर्तगत पुलिस या चिकित्सा विभाग द्वारा उसकी इच्छा के विरूद्ध उसका नाम व पता नहीं पूछा जा सकता है। उसे अनावश्यक रूप से अस्पताल में रोका नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त न ही उसे किसी जांच में शामिल किया जा सकता है। यदि गुड सेमेरिटन या नेक व्यक्ति किसी जांच में स्वेच्छानुसार शामिल होना चाहता है तो उसकी सुविधानुसार उससे पूछताछ किए जाने का नियमों में प्रावधान किया गया है। गुड सेमेरिटन या नेक व्यक्ति स्वेच्छा से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनना चाहता है तो उसे उसका साक्ष्य शपथ पत्र पर देने की अनुमित दी जाएगी।

प्राथमिक उपचार

दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति का तत्काल प्राथिमक उपचार बहुत जरूरी होता है। प्राथिमक उपचार का ज्ञान व उपयोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचा सकता है। इसिलए प्रत्येक वाहन में प्राथिमक चिकित्सा किट का होना अति आवश्यक है। घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, उसे प्राथिमक चिकित्सा या प्राथिमक उपचार कहते हैं। आपातकाल में पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए आसपास की किसी भी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है जिससे उसे आराम मिल सके।

प्राथमिक चिकित्सा के स्वर्णिम सिद्धांत एवम् नियम

प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करने के स्वर्णिम सिद्धांत एवम् नियम निम्नलिखित हैं –

- जल्द से जल्द दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों की खोज।
- अनावश्यक प्रश्न पूछने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
- जहां तक संभव हो मरीज को गर्म और आरामदायक स्थिति में रखा जाए।




- यदि दुर्घटना में घायल व्यक्ति होश में है परंतु दुर्घटना के कारण उसे सदमा लगा हो तो उसे समझाएं और सांत्वना दें।
- चोट के कारण रक्त बहने की स्थिति में सबसे पहले रक्त स्नाव को रोकने का प्रयास किया जाए।
- हड्डी टूटने की अवस्था में उसे सीधा कर दर्द को कम करने का प्रयास हो।
- घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा सहायता केंद्र तक पहुंचाकर चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की जाए।

सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित की मृत्यु को लेकर एक धारणा यह भी है कि अधिकतर मौतें गंभीर चोटें लगने और खून बहने से होती हैं परंतु वास्तविकता यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु का सामान्य कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकना है। अधिकतर मामलों में शरीर पर गहरे घाव और सदमे के कारण वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आमतौर पर वायु मार्ग अवरुद्ध होने के चार मिनट से भी कम समय में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को इससे बचाने के लिए उसकी सांस की जांच करें और ए.बी.सी. के नियम का पालन करें।

ए.बी.सी. (ABC) का नियम

- ए एयर वे या वायु मार्ग खोलना दुर्घटना होने के बाद सबसे पहले इस बात की जांच करें कि व्यक्ति की श्वास नली खुली है या नहीं? श्वास नली के माध्यम से हवा फेफड़ों में जाती है और बाहर निकलती है। यदि यह नली अवरुद्ध हो तो व्यक्ति की ठोड़ी को इस तरह से उठाएं कि उसका सिर पीछे की ओर झुक जाए।
- बी ब्रीथिंग या सांस की जांच श्वास नली खोलने के 5–10 सेकंड तक व्यक्ति की सांसों की जांच करें। उसके मुंह के पास अपना कान लगाकर उसकी सांसों को महसूस करें और यह देखें कि उसकी छाती ऊपर–नीचे हो रही है या नहीं। यदि लगे कि वह हांफ रहा है तो इसका मतलब है कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। ऐसी स्थिति में आप उसे अपने मुंह से सांस दें। यह क्रिया पीड़ित व्यक्ति के सीना उठने तक जारी रखें।
- सी सर्कुलेशन या परिसंचरण की जांच परिसंचरण की जांच करने के लिए रक्तम्राव की जांच करें। यदि रक्त ज्यादा बह रहा हो तो घाव को साफ करें व कपड़े या बेंडेज की मदद से घाव पर सीधा दबाव डालकर रक्त स्नाव को रोकें। जिन अंगों से रक्त बह रहा हो उन अंगों को ऊपर उठाएं।



याद रखें
मदद के लिए पुलिस को 112

नंबर पर और एम्बुलेंस को

108 नंबर पर फोन कर दुर्घटना

की जानकारी दें। राष्ट्रीय

राजमार्ग पर दुर्घटना की स्थिति

में 1033 पर संपर्क करें।

प्राथमिक उपचार के लिए लाए गए घायल व्यक्ति को यदि शीघ्र अति शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाए तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। अत: हम सबको दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद कर अनमोल जीवन को बचाने में सहायता करनी चाहिए।

छात्रों के लिए-

- ❖ सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की हैं?
- ❖ प्राथमिक उपचार में ए.बी.सी. नियम क्या हैं?
- ❖ आप रास्ते से जा रहे हैं और तभी कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो आप उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार उपलब्ध करवाएंगे?

सुरक्षा उपकरण

वाहन चलाते समय सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी रहता है। वाहन चलाते समय सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग न करना हमारे जीवन को और भी खतरे में डाल देता है। इसिलए हमें सदैव गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए जिससे गंभीर दुर्घटना से बचा जा सके। इसी तरह मोटरसाइकिल या स्कूटर जैसे दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग न करने से हमें अपनी जान से तो हाथ धोना ही पड़ता है,पर साथ ही हम अपने परिवार को भी संकट में डाल देते हैं। सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना हमारी नैतिक एवम् कानूनी जिम्मेदारी है।

सुरक्षा उपकरणों की सूची

- ♦ हेलमेट
- सीट बेल्ट
- यातायात सुरक्षा रेलिंग
- सड्क साइन बोर्ड।
- कैट आई रोड स्टड
- स्पीड ब्रेकर।
- सड्क सुरक्षा शंकु।







सड़क सुरक्षा शंकु

याद रखें - गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी के नीचे व पीछे अवश्य देखें।

छात्रों के लिए -

- दोपहिया वाहन चालकों को किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना चाहिए?
- ❖ गाडी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है?
- स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल ज्यादातर कहां किया जाता है?
- 💠 किन्हीं चार सुरक्षा उपकरणों के नाम लिखें।

वाहन का सही रख रखाव

आज के समय में हर किसी के पास वाहन होना सामान्य सी बात है। आज हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार वाहन खरीदना चाहता है, फिर वो चाहे दोपहिया वाहन हो या चार पहिया। वाहन वही सब से अच्छा

जो हमारी जरूरत को पूरा करे न कि स्टेटस सिंबल हो। महंगा वाहन खरीदना आसान है, पर उसका रख रखाव महंगा पड़ता है।

वाहन का रख रखाव वाहन की एक ऐसी महत्त्वपूर्ण जरूरत है जिसकी आमतौर पर हम सभी अनदेखी करते हैं। वाहन का सही रखरखाव उसे लंबी आयु देता है। वाहन को साफ-सुथरा रखना भी जरूरी है। नियमित अंतराल पर वाहन के कलपुर्जों, बोनट व बोनट के भीतर के पुर्जों की देखरेख करना अति आवश्यक होता है। समय-समय पर वाहन की सर्विस भी जरूरी होती है। इसके अतिरिक्त वाहन की बैटरी की जांच, इंजन ऑयल की जांच, सही समय पर इंजन ऑयल बदलना, विद्युतीय प्रणाली की समय-समय पर जांच और वाहन को हर समय अच्छी स्थिति में रखना अति आवश्यक होती है।

वाहन के रख रखाव के मुख्य बिंदु

- समय पर वाहन की सर्विसिंग करवाना।
- तेल बदलना।
- ब्रेक चेक करना।
- लैदर पैड बदलना।
- ♦ टायर का वायु दाब चेक करना।
- वाहन के हॉर्न।
- वाहन की लाइट।
- फाँग लाइट।
- 🔸 प्रदूषण जांच।
- सही ढंग से अनुरक्षित वाहन ईंधन व धन की बचत करने के साथ-साथ दीर्घकालीन अनुरक्षण लागतों को भी कम करता है। ऐसा वाहन उस समय भी अधिक विश्वसनीय व मूल्यवान होता है जब हम इसे बेचने जाते हैं।
- अपने वाहन की सर्विसिंग एक प्रशिक्षित वाहन विशेषज्ञ से करवाना ही लाभदायक होता है। प्रशिक्षित वाहन विशेषज्ञ के पास वाहन में खराबी का पता लगाने के अलावा उसे ठीक करने के लिए उचित ज्ञान, उपकरण एवम् मशीनें उपलब्ध होती हैं।

- हमें अपने वाहन में सदैव आईएसआई (ISI) या आईएसओ (ISO) चिन्हित मोटर ऑयल तथा अतिरिक्त कल पुर्जों (Spare parts) का ही प्रयोग करना चाहिए। सस्ते तेल न केवल वाहन के इंजन को खराब करते हैं बिल्क इंजन की कुशलता तथा वाहन के माइलेज को भी प्रभावित करते हैं।
- उन्नत ईंधन कुशलता तथा संबंधित सुरक्षा के लिए टायरों के अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- वाहन की बेहतरी के लिए टायरों में वायु के दबाव (वायुदाब) की नियमित जांच करवाई जानी चाहिए।

(पाठ्यचर्या प्रकोष्ठ, एससीईआरटी सोलन, हिप्र की निर्मिति)



3. वाहन के सही रखरखाव के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?



Be Alert: Be Safe

Overview

Every society has framed certain rules and regulations and the person who violates these rules is penalized as per the given provisions. You have already studied in your previous class that the government has framed road transport and safety rules. It is the duty of everyone to follow these rules so that it may help in controlling road accidents. It has become extremely important to sensitize all citizens especially youth and children about the rules of road safety.

In this chapter we shall discuss in detail about the efforts and ways being adopted by the government in the context of road safety. Discussion and dialogues are important because only through these means that awareness about road safety can be generated. Only then society can be spared the loss to life and kind caused by road accidents.

Chapter

Be safe, keep safe

In view of social and industrial progress, we have developed various means of transportation. Road transport is prominent among them. To regulate this important means of transport in proper and smooth manner, many rules have been framed. It is a paramount duty of every citizen to follow these rules because these rules have been made for the welfare of all citizens. Journey becomes safe and comfortable by following these rules.

If the awareness about these rules is spread, road accidents can be controlled to a great extent. Education is the only medium through which the awareness in this matter can be spread. As a result, this will curb the number of road accidents.

It is of utmost importance to provide information to youth about rules of road because in the absence of awareness about these rules, they do not follow them. In the absence of appropriate information, they drive without wearing helmet and seat belt; they also drive without valid driving license. By doing this they not only become victim of road accident but also cause injury to others. Every driver can contribute a lot by making his

I don't understand what is the need of making public aware about traffic rules again and again? Is it not wastage of money and time? and others life safe by strictly following traffic rules.

Major traffic rules in india

- ❖ Always drive on left In our country the chief traffic rule is to drive on left of road. The rule of driving on left is also prevailing in other countries such as England, Australia and Sri Lanka. While in the countries such as America, Russia, Germany, Canada and China, the rule is to drive on right.
- ❖ Patience and discipline While driving, keep patience and discipline. Be courteous to every person who is using road because others have as much right on the use of road as you have.
- ❖ Observance of traffic signs Always observe traffic signs. Accident may take place in the absence of non-observance of the traffic signs. Be always careful about zebra crossing while driving.
- ❖ Use of helmet and seat belt while driving two-wheeler,
 helmet must be worn by the
 driver and the pillion rider.
 Helmet protects head in case of
 accident. While driving fourwheeler, driver and copassengers must wear seat belts.
 This can help in saving the loss ∈
 life in case of accident.

Absolutely no. it is important to make public aware repeatedly. Only then public is sensitized on any important issue. This is not wastage of time and money. It is, in fact, safety of precious human life.







❖ Observance of speed limit For safe driving, vehicles should
be driven with in prescribed limit.
Over speeding increases the risk
of accidents. We should never
cross the speed limit in any case.
Driving within prescribed speed
limit ensures safety of drivers and
of those walking on road. Besides
this, even on those roads where
traffic is less, over speeding can
cause the loss of control by driver
or there may occur failure of
brakes. In this case some
unforeseen mishap may happen.

- Overtaking While driving never enter into a racing competition with other drivers. This is not only the violation of the rules, but this also means to endanger lives of other drivers. We should never overtake from wrong side in hurry. This can be fatal. Only in case the driver on front gives signal, overtaking must be carried out from the right side. This is also to be ensured that while overtaking no other vehicle is coming from the other side.
- Always drive on own lane keeping in view the traffic in cities, to observe lane discipline is very important. It helps in preventing accidents. Even if you are in hurry, you should never overtake by changing lanes on

busy traffic road. If a driver breaks the rule of safe lane driving, he endangers lives of others. In case of change of lanes, driver should use car indicator or use hand signal. These day two roads are made for traffic. One road is used for going vehicles and the other is used for coming vehicles. To drive on one way in right direction decreases the chances of occurrence of accidents.

❖ Observance of U-turn - The facility of U-turn is for helping driver. It is not right the of driver. It should be kept in mind that a driver can never take U-turn anywhere or anytime he likes. While taking U-turn, driver should be more careful. He should always take U-turn keeping in view the moving traffic. Otherwise, the possibility of accident can never be ruled out.





- * Extra cautious on curves, bridges and hilly areas we should be very careful while driving on bridges and on hilly areas. On curves, horns should be blown as and when needed and we should use brake accordingly. The control over steering wheel should never be lost. Besides this, speed limit should also be observed.
- ❖ Judicious use of horn Horn should not be blown unnecessarily. This disturbs the attention of the driver coming from opposite direction. Moreover, it also increases noise pollution.
- ❖ Vehicle parking Every driver should ensure that vehicle is parked on the space demarcated for parking. Vehicle should be parked in the manner that other drivers do not face any problem while parking or taking their vehicles out of parking.

- * Vehicle related documents-During driving always carry documents such as driving licence, vehicle registration certificate, vehicle insurance
- certificate, PUC etc. with you.Way for emergency vehicles -Always slow down or stop to give way to emergency vehicles. It is a
- Always slow down or stop to give way to emergency vehicles. It is a legal and ethical duty of every driver to give way to emergency vehicles. Therefore, always give way to ambulance and fire brigade. Obstructing the way of emergency vehicles can cause someone to lose life.

A few other traffic rules – there are a few more traffic rules besides those explained above. They are as follows:

- Never drive in the state of intoxication or weariness. Vehicle should be driven in the state of alertness
- Never allow more persons to be seated in vehicle than are prescribed/allowed.



Sonu, Billu and Tillu were talking during the lunch break-

Sonu: Rules are not important. They are merely rules and it is not necessary to follow them.

Billu: No, my dear friend, whenever you see a

policeman, take care to follow traffic rules.

Tillu: Even if there is no one to watch over our observance of rules, it is our duty and responsibility to follow the rules.

- While driving near hospitals, schools and crossroads, always drive in slow speed keeping in view the safety of pedestrians.
- Never use dazzling headlights
- The upper half portion of headlight should be covered in black.
- Use dipper at night
- Number plates should be made as per given standards. The numbers on the number plates of private vehicles should be painted in black on white surface and that of commercial vehicles, numbers should be written in black on yellow surface. Other than the number of the vehicle, there should be written nothing on number plate.
- High sounding pressure horns should never be used. Such horns and dazzling lights are prohibited.
- Never use mobile phone while driving. Never use earphones for listening music while driving. Even while walking on road use of mobile should be avoided.
- While driving or walking across a railway crossing that has no gate, look around in every direction to ensure safety and then cross. If railway crossing is gated, always wait till the gate is opened. Never cross underneath the gate.
- While crossing on foot, use zebra crossing; use over bridge and underground subway. Use pedestrian path while walking or use cycle track while riding cycle. In case of violation of traffic rules, traffic police issues challan to violator. Therefore, every

driver is supposed to have thorough knowledge about traffic rules and traffic signs. Abiding by the rules of traffic and road, we can save ourselves and others from serious accidents. There is no doubt about that despite being extra cautious on road, the risk of accident cannot be eliminated, but the rate and number of accidents can be decreased definitely.

Driving offence and penalty

Any person who commits antisocial activity knowingly or unknowingly is called an offender. Ignorance of law is no excuse for getting away from the penalty. Every offence even if committed in ignorance can pose a serious problem for society and nation. A driver who over speeds or drives carelessly and violates traffic rules is called an offender because he commits the offence. If a person commits an offence or crime, that person is definitely penalized. Whenever driving is done against traffic rules, the offender is liable to be punished under the provisions of Motor Vehicle Act.

When there is penalty for violating traffic rules, is it not advisable to have thorough knowledge about these rules and to follow them strictly?



Amended Motor Vehicle Act 2021 of Himachal Pradesh Government is applicable throughout the state. According to the Notification of the Motor Vehicle Act the provisions for the penalties for violating traffic rules are as follows:

- Using of mobile phone while driving imposes fine of 2500 ₹. If the offence is repeated, fine will increase to 15000 ₹.
- The fine from 5000 to 7500 ₹ is imposed on driving without license.
- The fine for driving without insurance is between 2000 to 6000 ₹.
- Over speeding is charged with the fine from 1500 to 3000 ₹.
- To drive vehicle without proper registration invites fine from 3000 to 6000 ₹.
- The fine from 1500 to 3000 ₹ will be charged if horn is blown in public places.
- Not giving way to emergency vehicles such as ambulance and fire brigade will invite fine of 15000 ₹.
- Fine of 1000 ₹ on not wearing seat belt
- Fine up to 5000 ₹ for driving on wrong side or for driving dangerously.
- Fine of 10000 ₹ on driving in the state of intoxication.
- Overloading on two-wheeler invites fine of 2000 ₹.
- In case of a minor drives vehicle and traffic rules are violated,

parents and the registered owner of vehicle will be held guilty and fine of 25000 ₹ will be charged. Imprisonment of three years can also be awarded. The registration of vehicle can also be cancelled in this situation*.

*Note: The complete information regarding the Amended Motor Vehicle Act, July 20, 2021 can be accessed from the website of the Transport Department of Himachal Pradesh government.

Safe speed limit

To drive vehicle above the prescribed speed limit always invites accidents. In order to ensure safe driving and to prevent accidents on roads, maximum speed limit has been prescribed by the Government. The standards that have been set up as per Motor Vehicle Act for deciding speed limit is determined on the basis of the location and the condition of road.

Aha! Driving slow like a tortoise cannot match the thrill of driving fast.




It is thrilling and exciting to drive fast, but it can also be fatal. Therefore, it is wise to always drive within speed limit

Fundamental pillars of road safety

According to the Ministry of Road Transport and Highways, there are six fundamental pillars of road safety:

- 1. Institute of road safety management and capacity building For the management of road safety, in a state, a committee comprising Public Works Department, Health Department, Home affairs and Director General of Police has been constituted. The committee is chaired by Chief Secretary of state. This committee reviews the state of road safety in state at regular intervals and works on further reforms and suggestions in the direction of road safety.
- 2. Safe roads and mobility All states within their jurisdiction ensure proper marking of roads, zebra crossing, sign boards, traffic lights, speed limit. The objective is to make roads safe for pedestrians and drivers.
- 3. Safe vehicles To ensure safety of driver and to prevent accidents, it is also important that vehicles should also be safe. For this, it is ensured that safety devices are installed in vehicles during manufacturing process and vehicles are certified at regular intervals for pollution and safety check
- **4.** Reforms in the enforcement of traffic and road rules For this objective it is essential to ensure the rule of speed limit for plying vehicles is enforced strictly. For this it is to be ensured that the drivers who overload their

- vehicles or drive in the state of intoxication are penalized strictly by the cancellation of their driving licenses.
- **5. Education** to sensitize people about road safety by means of educational institutions, police, government or non-government organizations and public participation.
- **6. Emergency service -** To save lives and to provide medical assistance to the victims of road accidents, the Ministry of Road Transport and Highways has emphasized on the importance of emergency service. In accordance with this objective, it is ensured that on national highways an emergency medical assistance center is set up at every distance of 50 kms. On state highways it is ensured to place ambulance and rescue vehicles near accident prone areas. This also includes to ensure that the drivers of heavy motor vehicles keep first aid kits in their vehicles; regular driving and road safety training to the drivers of heavy motor vehicles is also ensured.



Steps taken by government to prevent road accidents

To prevent road accidents, the government has taken many steps related to the formation of traffic rules and the implementation of these rules. These are the main steps taken by the government in this direction:

- The framing of national road safety policy
- The framing of the code of conduct for drivers that include the guidelines on continuous driving, rest taking, sleeping, eye sight checkup and the ban on the use of intoxicating drugs.
- To identify black spots and find solution to them.
- To provide cashless medical treatment to the victims of accidents in the first 48 hours of the accident and the preparation of the network of paneled hospitals.

- To encourage public participation for the objective of prevention of road accidents.
- For the prevention of accidents to use 5Es. These 5Es are: Engineering, Education, Enforcement, Emergency care service and Empathy.
- The government of India has implemented strict provisions of Motor Vehicle Act (Amended) 2019 for the objective of mitigation of road accidents.

On the basis of above mentioned precautions and stringent laws, the government is contributing a lot for the prevention of road accidents. This is only possible when there is 100 percent public participation in it and every driver treats it his or her personal moral duty to abide by the rules of road and traffic.

Good Samaritan Award Scheme

- The Ministry of Road Transport and Highways has implemented the Good Samaritan Scheme to bring down the death rate in the increasing road accidents in the country. Under this, a cash incentive of ₹5000 and a citation will be given to the Good Samaritan who has done the work of saving a person seriously injured in a road accident. If more than one Good Samaritan saves the life of road accident victims, the incentive amount will be divided equally among them.
- An individual Good Samaritan can be awarded maximum 5 times in a year.
- Any person who saves the life of a person seriously injured in a motor vehicle road accident by swiftly transporting him to the hospital at the Golden Hour will be eligible for this award.
- In addition to a reward of ₹5000, the central government will give a reward of ₹1 lakh each to 10 most worthy Good Samaritans. According to the scheme, the Ministry of Transport and Highways will get three excellent cases from all the states and examine them. 10 such cases will be selected on the basis of excellent assistance and honored in a program organized by the Ministry of Transport and Highways in Delhi.

National Road Safety Policy

To prevent the loss of life and kind, the government of India has approved the proposal for National Road Safety Policy. The aim is to prepare an outline or map to improve all activities related to road safety. The objectives of the National Road Safety Policy are as follows:

- To prepare database of road safety information
- To construct safe roads all over the country; to ensure suitable infrastructure for the implementation of judicious transport system.
- To ensure the availability of safety measures in vehicles on the level of design, manufacturing, driving and upkeep
- To ensure driving training and to strengthen measures for issuance of driving license for improving the driving ability of drivers.
- Many more measures to be adopted to ensure safety of those who use roads for walking or driving.
- To provide first aid and emergency medical assistance to the victims of accidents.
- To encourage human resource development and research and development (R & D) in the field of road safety
- To strengthen legal, institutional and financial environment for the development of the of road safety framework in the country.

By implementing the abovementioned measures, the percentage of road accidents can be mitigated to a great extent. Most of road accidents take place because of carelessness or mistake of drivers, it is important that driving license should only be issued after having been provided adequate driving training. Driver should also be sensitized about road accidents. For the sake of safe movement on roads, it is also advisable that a fund should be set up at the state level as has been set up at national level. The fine collected by those who violate traffic rules should be deposited in this fund and this amount should be used for improving road conditions and for the sake of prevention of road accidents. By this means, the percentage of road accidents can be decreased.

The amendment in the Motor Vehicle Act 1988

The central government has provided new facilities to drivers on the basis of the amendment in the Motor Vehicle Act 1988.

New Motor Vehicle Act 2021 provides the following provisions:

- While driving, mobile phone can be used only for navigation.
- All papers related to vehicle will be valid that have been stored on the apps such as digilocker or M-Pariyahan.
- Wherever it is necessary to confiscate the documents it will be done only digitally and for this receipt will be issued.



Increasing threat to environment because of vehicles

Environmental pollution has decision to implement BS-6 become a serious threat to human norms in 2020 instead of 2022 so civilization. Despite the best that in future vehicles are efforts in the direction of manufactured that emit less controlling this menace, the pollutants. It has been made condition is not improving. The mandatory to get one's vehicle major reason is the mad race for regularly checked and certified for development. One of the main pollution. Therefore, it is essential reasons for increasing pollution is and mandatory for all drivers to the smoke that is released by have Pollution Under Control vehicles. Though many steps have (PUC) certificate for their vehicles. been taken to check and control pollution, but it is extremely become a serious threat to human important to find a solution to the civilization. Despite the best problem of excessive smoke efforts in the direction of released by many vehicles. To controlling this menace, the work in this direction, the central condition is not improving. government has taken the

Environmental pollution has





While taking walk on the roads surrounding your area, identify the black spots; give the information of them to the concerned official through Panchayat Pradhan. This will help in prevention of road accidents.

- 1. What do you understand by penalty?
- 2. What are those points to be remembered while driving on road?
- 3. Which are major driving offences. Describe only four of them?
- 4. What is the difference between safe and unsafe driving?
- 5. Describe any five steps taken by the government to prevent road accidents?
- 6. What are those important points to be remembered while driving in bad weather?
- 7. Describe main penalties as laid down in the Amended Motor Vehicle Act?
- 8. What is safe speed limit and why it is imposed?
- 9. Why is it important to drive within safe speed limit?
- 10. What are the disadvantages of not keeping your vehicle well serviced?
- 11. What are those major pillars of road safety according to the Ministry of Road Transport and Highways?
- 12. Who are the victims of unsafe driving?
- 13. On the basis of Himachal Pradesh Amended Motor Vehicle Act 1921, match the content of list 1 with that of column 2:

	List 1		List 2
1.	Driving in the state of intoxication	A	Fine of 15000 ₹
2.	Driving by a minor	В	Fine of 10000 ₹
3.	Driving without license	С	Fine of 25000 ₹
4.	Not to give way to emergency vehicles	D	Fine of 5000 ₹ to 7000 ₹

	1	2	3	4
(a)	A	В	С	D
(b)	В	С	A	D
(c)	В	С	D	A
(d)	С	В	D	A



- 14. When were BS-6 standards implemented by the government of India?
 - a) 2020
 - b) 2021
 - c) 2019
 - d) 2018
- 15. What is the full form of BS-6
 - a) Bharat Stage 6
 - b) Bharat Standards-6
 - c) Bharat Store-6
 - d) None of above
- 16. What is the fine imposed on driving without wearing seat belt?
 - a) 500 ₹
 - b) 1000₹
 - c) 2000 ₹
 - d) 1500₹
- 17. where are digital documents of vehicle kept?
 - a) Digilocker and M-Parivahan apps
 - b) Facebook
 - c) Google meet
 - d) All above



सजग रहें: सुरिक्षत रहें

परिचय

प्रत्येक समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं और जो भी व्यक्ति उन नियमों की अवहेलना करता है उसे उसी समाज द्वारा नियमानुसार दंड देने का प्रावधान रहता है। आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सरकार द्वारा सड़क पर जन सुरक्षा तथा यातायात को सुचारु ढंग से चलाने के लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है। ऐसा करने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकती है। इसके लिए समाज के हर वर्ग, खासकर युवाओं और बच्चों को यातायात के नियम के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है।

इस अध्याय में हम सड़क सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवम् उपायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस विषय पर संवाद करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ऐसे संवादों के माध्यम से ही सड़क यातायात के बारे में जागरूकता लाकर समाज को जनधन के नुकसान से बचाया जा सकता है।

अध्याय

सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें

सामाजिक एवम् औद्योगिक विकास के साथ-साथ हमने परिवहन के भी अनेकों साधन विकसित किए हैं जिनमें सड़क यातायात सबसे प्रमुख है। यातायात के इस महत्त्वपूर्ण साधन को सुचारु और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियम बनाए गए हैं। ये नियम सभी नागरिकों की भलाई के उद्देश्य से बनाए गए हैं। अत: इन नियमों का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इनका पालन करने से यात्रा सुखद और सुरक्षित हो जाती है।

सरकार द्वारा बनाए गए यातायात के इन नियमों के प्रति समाज में जागरूकता आने से सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

युवा वर्ग को यातायात के नियमों की जानकारी देना और भी जरूरी है, क्योंकि यातायात के नियमों के प्रति सचेत नहीं होने के कारण वे इन नियमों का पालन नहीं करते। इस जानकारी के अभाव में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और बिना लाइसेंस के तेज गति से वाहन चलाकर अक्सर वह खुद तो सड़क दुर्घटना का शिकार होते ही हैं परंतु साथ ही साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों को भी नुक्सान पहुंचाते हैं।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि बार-बार सड़क सुरक्षा के बारे में समाज को जागरूक करने की क्या आवश्यकता है? क्या यह इन यातायात नियमों का पालन कर हम अपने साथ-साथ दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भारत में सुरक्षित यातायात के मुख्य नियम हैं –

- वाहन बाई ओर चलाएं हमारे देश में यातायात का प्रमुख नियम वाहन को बाई ओर चलाने का है। इंग्लैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका आदि देशों में भी हमारे देश की तरह बाई तरफ वाहन चलाने का नियम है। जबिक अमेरिका, रूस, जर्मनी, कनाडा और चीन आदि देशों में वाहन सड़क की दाई ओर चलाए जाते हैं।
- संयम और अनुशासन सड़क पर वाहन चलाते समय सदैव संयम और अनुशासन बनाए रखें। सड़क उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टाचार से पेश आएं। सड़क पर वाहन चलाने का जितना अधिकार आपका है उतना ही अन्य व्यक्तियों का भी है।
- ट्रैफिक सिग्नल का पालन हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करने पर दुर्घटना हो सकती है। वाहन चलाते समय जेबरा क्रॉसिंग का पालन भी अवश्य करें।
- हेलमेट एवम् सीट बेल्ट का प्रयोग -दुपिहया वाहनों को चलाते समय तथा उस पर पीछे बैठते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। हेलमेट पहनने से दुर्घटना के समय सिर की सुरक्षा होती है।, यह सिर को गंभीर चोट से भी बचाता है।

बिल्कुल नहीं, समाज को बार-बार जागरूक करना बहुत जरूरी है क्यांकि तभी वह किसी भी विषय पर संवेदनशील होता है। यह समय और धन की बुर्बादी नहीं बल्कि अनमोल जीवन की सुरक्षा है।



चौपहिया वाहन चलाते समय चालक सिंहत सभी यात्रियों को सुरक्षा हेतु सीट बेल्ट अवश्य बांधनी चाहिए। इससे दुर्भाग्यवश होने वाली किसी भी दुर्घटना में जनहानि को कम किया जा सकता है।

❖ निर्धारित गति सीमा का पालन - सडक पर सुरक्षित यातायात के लिए वाहनों को निर्धारित गति सीमा में ही चलाना चाहिए। तेज गति से वाहन चलाने पर इनके दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा अधिक रहता है। वाहन चलाते समय किसी भी स्थिति में हमें निर्धारित गति सीमा को पार नहीं करना चाहिए। निर्धारित गति सीमा में चलने से वाहन में बैठे यात्रियों के साथ-साथ पैदल चलने वाले व्यक्तियों का जीवन भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा, कम यातायात वाली सडकों पर भी तेज गति से वाहन चलाने से चालक नियंत्रण खो सकता है या अचानक वाहन की ब्रेक फेल हो सकती है, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है।


ॐ अन्य वाहन से आगे निकलना (ओवरटेकिंग)- वाहन चलाते समय कभी भी किसी अन्य वाहन चालक से रेस न लगाएं। ऐसा करने से यातायात के नियमों का उल्लंघन तो होता ही है परंत साथ ही वाहन चालक अपने और अन्य वाहन चालकों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ करता है। हमें भूलकर या जल्दबाजी में गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। आगे चलने वाले वाहन से संकेत मिलने पर हमें उस वाहन के दाई ओर से ही आगे निकलना अर्थात ओवरटेक करना चाहिए। ऐसा करने से पहले भी यह सुनिश्चित कर लें कि सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है।

❖ अपनी लेन में चलना- अपने शहर की सड़कों पर यातायात को ध्यान में रखते हुए, लेन अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे दुर्घटना रोकी जा सकती है। व्यस्त सड़क पर लेन बदलकर कभी भी वाहन को ओवरटेक न करें। यदि वाहन चालक शीघ्रता के कारण लेन के नियमों को तोड़ता है तो वह सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों को भी अपने इस कार्य से प्रभावित करता है। लेन बदलने की परिस्थिति में वाहन चालक को इंडिकेटर या फिर हाथ के संकेतों का प्रयोग करना चाहिए।

आजकल सड़क पर वाहन चलाने के लिए भी दो रास्ते बनाए जाते हैं। एक रास्ता वाहनों के आने के लिए होता है तो दूसरा रास्ता वाहनों के जाने के लिए होता है। सही दिशा का चुनाव कर वन वे में गाड़ी चलाने से हम सड़क दुर्घटना का शिकार होने से काफी हद तक बच सकते हैं।

यू-टर्न का पालन - यू-टर्न जैसी सुविधाएं केवल वाहन चालक की सहायता के लिए होती हैं। यह सुविधाएं

हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा (2020)



Source: Road Accident Data Mannagement System (RADMS)

चालक का अधिकार नहीं होती। ध्यान रहे, वाहन चालक कभी भी, कहीं भी अपनी मर्जी से यू-टर्न नहीं ले सकता। इसके अलावा यू-टर्न लेते समय वाहन चालक को वाहन चलाने से अधिक सावधानी रखनी चाहिए। इस दौरान उसे ट्रैफिक को देखकर ही यू-टर्न लेना चाहिए अन्यथा पीछे से आ रही गाड़ियों से उसके वाहन के टकराव की संभावना बराबर बनी रहती है।

- ❖मोड़, पुल, पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सावधानी – पुल पार करते समय अथवा पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाते समय हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रत्येक मोड़ पर आवश्यकतानुसार हॉर्न, ब्रेक का प्रयोग करते हुए, स्टेयरिंग पर पूरा नियन्त्रण रहना चाहिए। इसके साथ निर्धारित गति–सीमा का भी पालन करना चाहिए।
- ❖ हॉर्न का उचित प्रयोग वाहन चलाते समय बार-बार अनावश्यक रूप से हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से सामने वाले वाहन चालक की एकाग्रता तो भंग होती ही है साथ ही साथ ध्विन प्रदूषण भी बढ़ता है।

- ❖ वाहन पार्किंग प्रत्येक वाहन चालक को अपने वाहन को पार्क करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वाहन की पार्किंग निर्धारित स्थान पर ही करें। किसी भी वाहन की पार्किंग के कारण अन्य व्यक्ति को अपना वाहन पार्क करने में या निकालने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
- ❖ वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज वाहन का उपयोग करते हुए वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे-ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र इत्यादि को अपने साथ अवश्य रखें।
- ❖ आपातकालीन वाहनों को रास्ता -आपातकालीन वाहनों को रुक कर रास्ता दें। एक ड्राइवर के रूप में आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता देना हमारी नैतिक एवम् कानूनी जिम्मेदारी है। इसलिए एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के वाहन को सड़क पर चलते हुए अधिमान दें। स्मरण रखें कि उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाने से किसी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है।



सोनू, बिल्लू और टिल्लू रिसेस में अपना-अपना लंच करते हुए आपस में बात कर रहे थे -सोनू- नियम कुछ नहीं होते। ये बस ऐसे ही लोगों को डराने के लिए होते हैं। इनका पालन करना कोई

आवश्यक नहीं होता।

बिल्लू- नहीं दोस्त! जब कभी पुलिस वाला दिखे तो नियम का पालन कर लेना चाहिए। टिल्लू- नियम का पालन हो रहा है या नहीं, इस बात को देखने वाला कोई हो या नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए सभी तरह के नियमों का पालन करना हम सबका कर्त्तव्य है। उपरोक्त तीनों कथनों में से आप किस के साथ सहमत हैं और क्यों?

यातायात के अन्य नियम – उपरोक्त यातायात के नियमों के अतिरिक्त यातायात के कुछ और महत्त्वपूर्ण नियम भी हैं, जिनका पालन करना भी आवश्यक है, यथा –

- किसी भी प्रकार के नशे की अवस्था,
 थकान एवम् अस्वस्थता की स्थिति में
 गलती से भी वाहन न चलाएं। पूरे होश
 एवम् सामान्य अवस्था में ही वाहन
 चलाना चाहिए।
- वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को न बैठाएं।
- स्कूल, अस्पताल, चौराहों आदि के समीप पैदल यात्रियों का ध्यान रखते हुए अपने वाहन की गति धीमी रखें।
- चकाचौंध करने वाली हैडलाइटों का प्रयोग न करें।
- हैडलाइट का ऊपरी आधा हिस्सा काले रंग से रंगा होना चहिए।
- रात में डिपर का प्रयोग अवश्य करें।
- नंबर प्लेट साफ एवम् सही मानकों के अनुरूप ही लिखवाएं। निजी वाहनों के नंबर सफेद प्लेट पर काली स्याही से व व्यावसायिक वाहनों के नंबर पीली प्लेट पर काली स्याही से लिखे होने चाहिए। वाहन की नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा अन्य कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।
- वाहनों में अत्यधिक तेज और अजीब
 ध्विन वाले प्रेशर हॉर्न एवम् प्रतिबंधित
 हूटरों और लाइटों का प्रयोग नहीं करना
 चाहिए।
- सड़क पर पैदल चलते हुए या वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात न करें और न ही ईयर फोन लगाकर गाने आदि सुनें।
- बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय अधिक सावधानी बरतें।
 रेलगाड़ी के फाटक से गुजर जाने के बाद फाटक उठने की प्रतीक्षा करें। फाटक के

- नीचे से निकलकर रेलवे लाईन को पार न करें।
- पैदल सड़क पार करते समय जेबरा क्रॉसिंग, ओवर ब्रिज, भूमिगत परिपथ का प्रयोग करें। सड़क पर पैदल चलते समय फुटपाथ और साइकिल से चलते समय साइकिल टैक का प्रयोग करें।

यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों का यातायात पुलिस कर्मी चालान काटते हैं। इसलिए यातायात के सभी नियमों और चिहनों की जानकारी सभी वाहन चालकों को आवश्यक रूप से होनी चाहिए। यातायात के नियमों का पालन कर हम सब खुद को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा सकते हैं। इसमें दो राय नहीं कि सड़क पर अधिकतम सावधानी बरतने पर भी दुर्घटना के जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता, हां! कम अवश्य किया जा सकता है।

ड्राइविंग: अपराध एवम् दंड

कोई भी व्यक्ति समाज विरोधी काम जानबूझ कर करे या अज्ञानतावश, वह हर स्थिति में अपराध ही कहलाता है। दंड की अज्ञानता का हवाला देकर किसी को भी दोषमुक्त करार नहीं दिया जा सकता। जाने-अनजाने में किया गया हर अपराध प्रत्येक समाज एवम् राष्ट्र के लिए एक गंभीर समस्या रही है। यदि कोई चालक तेज गति एवम् असावधानी से वाहन चलाते हुए यातायात के नियमों का

जब यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान है तो क्या दंड से बचने के लिए यातायात के नियमों की जानकारी एवम् उनका पालन बेहतर विकल्प नहीं?



उल्लंघन करता है तो वह अपराध करता है और जब भी कोई अपराध करता है तो उसे उस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। जब ड्राइविंग यातायात के नियमों के विरुद्ध की जाती है तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मिलने वाले दंड से बचा नहीं जा सकता।

हिमाचल प्रदेश सरकार का संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2021 पूरे राज्य में लागू है। मोटर वाहन अधिनियम की अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते समय किए गए अपराधों के लिए निम्न दंडों का प्रावधान है-

- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर पहली बार 2500 ₹ का जुर्माना। गलती दोहराने पर ये जुर्माना 15000 ₹ तक हो सकता है।
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500 ₹ तक जुर्माना।
- बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाहन चलाने पर 2000 से 6000 ₹ के बीच जुर्माना।
- तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर 1500 से 3000 ₹ तक दंड की व्यवस्था।
- बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 6000 ₹ तक जुर्माना।
- सार्वजनिक स्थल पर हॉर्न बजाने पर 1500 से 3000 ₹ तक जुर्माना।
- आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता न देने पर 15000 ₹ तक जुर्माना।
- सीट बेल्ट न लगाने की स्थिति में 1000
 ₹ का जुर्माना।
- गलत दिशा या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 5000 ₹ तक जुर्माना।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000 ₹
 तक जुर्माना।

- दुपिहया वाहनों पर ओवर लोडिंग करने पर 2000 ₹ दंड की व्यवस्था।
- नाबालिंग द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर माता- पिता और वाहन मालिंक को भी दोषी माना जाता है, और उन्हें 25000 ₹ के साथ साथ 3 वर्ष की कैद भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में वाहन का पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है।*

*नोट- 20 जुलाई, 2021 को अधिसूचित संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2021 की संपूण जानकारी हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग की साइट से प्राप्त की जा सकती है।

सुरक्षित गति सीमा

सड़क पर वाहन की गित का तय सीमा से अधिक होना सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने एवम् सड़क पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा समय-समय पर मोटर वाहन अधिनियम में वाहनों की अधिकतम गित-सीमा का निर्धारण किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क की स्थित एवम् स्थान के अनुसार गित सीमा के मानक भी अलग-अलग तय किए जाते हैं।

अहा! जो आनंद रोमांचक गित में है क कछुए की चाल से गाड़ी चलाने में कहां?



माना गित रोमांचक है परंतु जान-लेवा भी, इसलिए सुरक्षित गित सीमा में ही हम सबकी समझदारी है।

सड़क सुरक्षा के आधारभूत स्तंभ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सड़क सुरक्षा के छ: आधारभूत स्तंभ हैं –

1. सड़क सुरक्षा प्रबंधन-संस्थान और क्षमता निर्माण – सड़क सुरक्षा प्रबंधन के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिव परिवहन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह मामले एवम् पुलिस महानिदेशक की सदस्यता वाली एक समिति का निर्माण किया गया है। इस समिति का कार्य समय-समय पर राज्य में सड़क सुरक्षा के हालातों की समीक्षा कर सुधार के उपायों एवम् सुझावों पर काम करना है।


2. सुरक्षित सड़कें एवम् गतिशीलता – सभी राज्यों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की सड़कों की मार्किग, जेबरा क्रासिंग, संकेतक बोर्ड, यातायात लाइटों, गति सीमा निर्धारण आदि के माध्यम से सड़कों को वाहन चलाने एवम् पैदल यात्रा करने वालों के लिए सुरक्षित बनाना।

3. सुरक्षित वाहन – सड़क दुर्घटनाओं से चालक तथा उसमें सवार यात्रियों के बचाव हेतु वाहनों का सुरक्षित होना भी आवश्यक है। इसके लिए वाहन निर्माण के समय उसमें सुरक्षा उपकरण लगाना, वाहनों की समय-समय पर प्रदूषण एवम् सुरक्षा संबंधी जांच करना आदि शामिल है।

4. यातायात नियमों के प्रवंतन में सुधार – इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गित सीमा निर्धारित करके उसके अनुपालन पर बल दिया जाना आवश्यक है। वाहनों में ओवरलोडिंग, शराब एवम् अन्य किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करने वाले चालकों के लाइसेंस रद्द करने जैसे दंडों का सख्ती से पालन करवाना।

5. शिक्षा – सड़क सुरक्षा पर शैक्षिक संस्थानों, पुलिस, सरकारी एवम् सरकारी संस्थाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करना।

6. आपातकालीन देखरेख – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की जान बचाने हेतु आपातकालीन देखरेख के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर प्रत्येक 50 कि.मी. की दूरी पर एक आपातकालीन चिकित्सा केंद्र की सुविधा सुनिश्चित करना, राज्य महामार्गों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के निकट बचाव एवम् रोगी वाहनों को रखना, भारी मोटर वाहनों के सभी चालकों को प्राथमिक चिकित्सा किट सहित उचित वाहन चालन प्रशिक्षण सुनिश्चित करना आदि शामिल है।



सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के कदम

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं, चाहे वह सड़क सुरक्षा को लेकर हों या नियमों का सही प्रकार से स्थापन और पालन करवाने हेतु। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम-

- राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का निर्माण।
- वाहन चालकों के लिए ऐसी आदर्श आचार संहिता का निर्माण करना जिसमें उनके लगातार वाहन चलाने, आराम करने, सोने, आँखों की जाँच, दवाइयों व नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक इत्यादि से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश हों।
- सड़कों पर ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उनका निराकरण करना।
- दुर्घटनाओं के पीड़ितों को प्रथम 48 घंटों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए पैनलयुक्त अस्पतालों का नेटवर्क तैयार करना।
- सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लक्ष्य को हासिल करने में जनभागीदारी और जनसहभागिता जैसे जन आंदोलनों पर जोर देना।

- सड़क दुर्घटनाओं के निवारण व नियंत्रण हेतु सड़क सुरक्षा के संबंध में 5E को मुख्य उपाय के रूप में प्रयोग करना। ये 5E हैं -अभियांत्रिकी (Engineering) शिक्षा (Education), कानून प्रवंतन (Law Enforcement), आपातकालीन देखरेख (Emergency Care Service) व समानुभूति (Empathy)।
- सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाले मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019 को लागू किया है।

उपरोक्त सुरक्षा संबंधी सावधानियां एवम् अन्य कई कड़े कानूनों के माध्यम से सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। यह तभी संभव है जब जनभागीदारी का इसमें शत-प्रतिशत योगदान हो और सभी सड़क पर वाहन चलाते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

गुड सेमेरिटन पुरस्कार योजना

- देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युदर में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय ने गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) पुरस्कार योजना लागू कर दी है। इसके तहत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बचाने का कार्य करने वाले गुड सेमेरिटन को प्रदेश स्तर पर पांच हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। यदि वाहन सड़क दुर्घटना में एक से अधिक गुड सेमेरिटन दुर्घटनाग्रस्त की जान बचाते हैं, तो प्रोत्साहन राशि समान रूप से उनमें बांटी जाएगी।
- एक गुड सेमेरिटन को एक वर्ष में अधिकतम पांच बार सम्मानित किया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति जो मोटरयान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को स्वर्णिम घंटे (Golden Hour) में अस्पताल तत्परता से पहुंचाकर जान बचाता है इस अवॉर्ड के लिए पात्र होगा।
- पांच हजार रुपए के इनाम के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से दस जीवन रक्षकों को एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। योजना के मुताबिक परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों से उत्कृष्ट तीन-तीन प्रकरण प्राप्त कर परीक्षण किए जाएंगे। ऐसे दस प्रकरण उत्कृष्ट सहायता के आधार पर चयनित कर परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

सड़क हादसों में जानमाल का नुकसान न हो इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को स्वीकार किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इसे देश में सभी स्तरों पर सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में सुधार लाने हेतु नीतिगत पहलों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य हैं-

- सड़क सुरक्षा सूचना का एक डाटाबेस तैयार करना।
- संपूर्ण देश में सुरिक्षत सड़कों के निर्माण, विवेकपूर्ण परिवहन प्रणाली को लागू करके सुरिक्षत अवसंरचना सुनिश्चित करना।
- अभिकल्पन, विनिर्माण, प्रयोग, चालन तथा अनुरक्षण के स्तर पर वाहनों में सुरक्षा विशेषताओं की उपलब्धता की सुनिश्चितता तय करना।
- ◆ ड्राइवरों की क्षमताओं में सुधार करने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण तथा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- सड़क का प्रयोग करने वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अन्य बेहतर उपाय करना।
- सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को प्राथिमक एवम् आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।
- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान एवम् विकास (आर एंड डी) को प्रोत्साहित करना।
- देश में सड़क सुरक्षा वातावरण के विकास के लिए कानूनी, संस्थागत तथा वित्तीय वातावरण को मजबूत बनाना।

उपरोक्त बिंदुओं को उपयोग में लाकर सड़क दुर्घटनाओं की प्रतिशतता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चूंकि सबसे अधिक दुर्घटनाएं चालक की गलती या लापरवाही से होती हैं, अत: वाहन चालकों को उचित ड्राइविंग प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस देना, उन्हें सड़क दुर्घटनाओं को लेकर संवेदनशील करना जैसे अन्य उपायों पर भी ध्यान देने की व्यावहारिक आवश्यकता है। सड़क पर सुरक्षित आवाजाही के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर की तरह प्रदेश स्तर पर भी राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना की जाए और सड़क पर नियमों का उल्लंघन करने पर इकट्ठा हुई राशि का तय प्रतिशत इस निधि में जमा कर दुर्घटनाओं को रोकने व सड़कों की स्थिति सुधारने पर लगाया जाए। ऐसा होने से भी दुर्घटनाओं की प्रतिशतता को कम किया जा सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन के तहत वाहन चालकों के लिए नई सुविधा प्रदान की है। नए मोटर वाहन अधिनियम 2021 के अनुसार वाहन चालकों के लिए निम्न नियमों का प्रावधान है –


- ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का प्रयोग केवल नेविगेशन के लिए किया जा सकता है।
- गाड़ी से संबंधित डिजीलॉकर या एम-पिरवहन एप्प में रखे दस्तावेज मान्य होंगे।
- ऐसे मामलों में जहां दस्तावेजों की जांच या जब्त करने की जरुरत होगी वहां केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसा किया जाएगा और उनकी रसीद दी जाएगी।



पर्यावरण को वाहनों से बढ़ता खतरा

आज मानवीय सभ्यता पर प्रदूषण रूपी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अनेकों प्रयासों के बावजूद भी प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा और इसका कारण विकास की अंधी दौड़ के आगे कुछ और नहीं दिखना है। प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक वाहनऔर उनसे निकलने वाला धुआं है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वैसे तो कई कदम उठाए जा रहे हैं परंतु ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों की समस्या का समाधान करना नितांत आवश्यक है। इसी दिशा में काम करते हुए केंद्र सरकार ने BS-6 मानकों को 2022 की जगह 2020 से ही लागू करने का निर्णय लिया है ताकि कम से कम भविष्य में ऐसे वाहन बनाए जा सकें जिनसे प्रदूषण कम हो।

सरकार द्वारा वाहनों की प्रदूषण जांच करवाना अनिवार्य किया गया है। इसलिए सभी वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) होना जरूरी हो गया है।





अपने आसपास की सड़कों पर भ्रमण करते हुए वहां के **ब्लैक** स्पॉट्स की पहचान कर उनकी सूचना अपने पंचायत प्रधान के माध्यम से संबंधित विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करवाएं ताकि भविष्य में वहां पर किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।

(पाठ्यचर्या प्रकोष्ठ, एससीईआरटी सोलन, हिप्र की निर्मिति)

- 1. दंड से आप क्या समझते हैं?
- 2. वाहन चलाते समय किन- किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- 3. प्रमुख ड्राइविंग अपराध कौन- कौन से हैं? कोई चार बताओ।
- 4. सुरक्षित और असुरक्षित ड्राइविंग में क्या अंतर है?
- 5. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए किन्ही पांच कदमों का विवरण दें।
- 6. खराब मौसम में गाडी चलाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- 7. नए मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित प्रमुख दंडों का विवरण दें।
- 8. सुरक्षित गति सीमा क्या होती है? यह क्यों निर्धारित की जाती है?
- 9. सुरक्षित गति सीमा में वाहन चलाना क्यों आवश्यक है?
- 10. वाहनों का सही रख- रखाव न करने से क्या हानियां होती हैं?
- 11. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार सड़क सुरक्षा के आधारभूत स्तंभ कौन-कौन से हैं?
- 12. असुरक्षित वाहन चालन का परिणाम किस-किस को भुगतना पड़ता है?
- 13. हिमाचल प्रदेश संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1921 के अनुसार सूची-। का मिलान सूची-।। से कीजिए और मिलान का सही क्रम नीचे दी गई सारणी में से चुनिए -

	सूची - ।		सूची - ॥
1.	शराब पीकर गाड़ी चलाना	क	15000 ₹ जुर्माना
2.	नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना	ख	10000 ₹ जुर्माना
3.	बिना लाइसेंस वाहन चलाना	ग	25000 ₹ जुर्माना
4.	आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना	घ	5000 ₹ से 7000 ₹ जुर्माना

	1	2	3	4
(अ)	क	ख	ग	घ
(অ)	ख	ग	क	घ
(刊)	ख	ग	ঘ	क
(द)	ग	ख	ঘ	क

प्रश्नावली



- 14. भारत सरकार ने BS-6 मानकों को कब लागू किया?
 - (क) 2020 में
 - (ख) 2021 में
 - (ग) 2019 में
 - (घ) 2018 में
- 15. BS-6 का पूरा नाम क्या है?
 - (क) भारत स्टेज 6
 - (ख) भारत स्टैण्डर्ड 6
 - (ग) भारत स्टोर 6
 - (घ) इन में से कोई नहीं
- 16. गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना लगता है?
 - (क) 500 ₹
 - (ख) 1000 ₹
 - (ग) 2000 ₹
 - (ঘ) 1500 ₹
- 17. डिजिटल रूप में वाहन से सम्बंधित दस्तावेज कहां रखे जा सकते हैं?
 - (क) डिजीलॉकर और एम-परिवहन एप्प पर
 - (ख) फेसबुक पर
 - (ग) गूगल मीट पर
 - (घ) उपरोक्त सभी पर





11th Class



The Traveller's Pledge

Besides road safety as its main theme, the poem also aims at inculcating the values of kindness, compassion and co-operation among students.

Travelling onward among peaks that reach the sky,
Golden sunbeams shimmer on brooks flowing by.
Exploring new perspectives, diverse challenges to find,
Yet safety's our concern, forefront in the mind.

Zigzag roads and curves whispering, 'Drive with care, Precaution and alertness, safe journey we declare'.

For speed and haste are always risky course,

Let diligent driving be our guiding force.



Amidst cityscapes with traffic snarls that grow,

Follow traffic rules, let respect and caution show.

Human life we treasure, whether on two or four wheels,

Safety is our priority, the trust it seals.

With vigilance and responsibility, we steer our way,
Navigating roads defensively, ensuring no dismay.

For in our hands, people entrust their fate,
Let thrill and speed not be our fatal bait.

Though rough roads and darkness, we forge ahead, With alacrity and caution, our course we tread. With focus and foresight, we conquer each bend, The joy of journey is its safe and happy end.

Let us join hands, in a collective oath,
A journey of safety, for you and me, both.
Every mile a promise, every ride a testament,
To life, to joy and to responsible intent.



I. Think It Out:-

- 1. What values are promoted through the poem?
- 2. What role does caution play in the poem's message about road safety?
- 3. What is the significance of the phrase 'Zigzag roads and curves whispering, drive with care'?
- 4. What is the significance of the phrase, 'Every mile, a promise, every ride a testament'?
- 5. How does the poem portray the consequences of not driving safely?
- 6. How does the poem suggest that safe driving is a shared responsibility?
- 7. What message does the poem convey regarding road safety?

II. Suggested Project work:-

Project Title: Road Safety Awareness Campaign

The objective of this project is to raise awareness about road safety. The poem The Traveller's Pledge is used as one of the creative means to convey the message.

Visual Representation:

Divide students into groups and assign each group a stanza or a specific theme from the poem. Ask them to create **visual representations such as posters, slogan writing, painting or digital art that convey the importance of**



road safety. Direct them to use imageries, images and suitable words from the poem for this activity.

Creative Writing:

Ask the students to write their own poems or short stories inspired by the theme of road safety and responsible driving. Encourage them to use descriptive language and metaphorical imagery to convey their message effectively.



NOTES



NOTES

12th Class



Road Safety: For A Safer Tomorrow

Before you read:

Have you ever visited a traffic control room? How does it look like and how man and machine work together to make our life on roads safe and secure? Let us read and find out what lesson in road safety the students of a school learnt when they went on a road safety field trip.

THERE was an excitement among the members of school Road Safety Club, as they along with their madam Chetna

b o a r d e d a n electric bus for the Road Safety field trip. It was a special occasion for the students of GSSS Pratha as they were going to visit the Traffic Control Room at Solan. So far, these students had participated




in road safety campaigns only through slogans, banners, posters, quizzes, skits and nukkad-nataks within the school vicinity. But, this was the first time that they were going to experience the traffic control system and road safety mechanism and also to familiarise them with the Intelligent Traffic Management System (ITMS) in real sense.

It was their first experience of traveling in e-bus. That was why, the moment the bus started, their guide-cum-

instructor for the day, Sub Inspector Sh. Gyan Chand, apprised them that evenicles do not use conventional fuel, make no noise and they are pollution free. The bus traversed the entire hill as smoothly as traditional bus would have done it.

However, this smooth and quiet ride soon became noisy with students' laughter and songs. Some of them even started dancing. But, their instructor advised them not to do; for dancing in a moving vehicle may distract the driver




and cause accident. Of course, he did not want to spoil the fun of their journey. So, he gradually engaged them to the core issue i.e., Road Safety. First, he asked about their school level road safety club activities. Then, he asked some questions about the road safety topics included in their books. He also supplemented their knowledge with new information ranging from different road signs to penalties for violations to make it a real road safety trip. Each one of them started giving their heart and soul to his words.

After a few minutes the bus reached the national highway. Here, the discussion shifted towards various road markings. The students were told that there are two types of middle lines on two-lane roads-single broken line and single continuous barrier line. Broken white lines are used to mark the middle of a two lane highway to separate traffic on both directions. Drivers are supposed to keep left but can cross the broken line for overtaking if situation permits. The single continuous line should not be crossed over because it indicates high traffic junctions and overtaking by crossing over this line is not permissible. In rural areas, we generally notice single broken line only whereas the single continuous line is noticeable on an express highway or other busy national highways. They were also informed about different kinds of speed-breakers, and road studs. Sh. Gyan Chand laid greater emphasis on the significance of retro-reflective safety devices like cat eyes and coloured tapes. They saw various sign boards with road safety slogans like do not drink



and drive, wear seat belt while driving, do not over speed etc.by the road side.

At the Kumarhatti junction, some students had their first experience of a four lane road and the fly-over. But they were really wonderstruck when Sh. Gyan Chand told them that it was a very small fly-over in comparison to many others that may run to many miles. He further said that such fly-overs and tunnels have prevented the demolition of many towns across the country. He asked the students to imagine the cost of constructing a fly-over, a tunnel and a four-lane



road. Pointing towards the people who were not using the zebra-crossing under the fly-over, he expressed his disappointment that these efforts of road safety are even wasted when people don't adhere to simple instructions meant for their own safety. Such routine and negligence by pedestrians as well as drivers may result in the loss of the most precious thing- our life. And it is this sensitivity towards our own safety that the volunteers of Road Safety Clubs need to develop among the members of family, friends and society.

Suddenly, madam Chetna invited students' attention towards a surveillance camera installed on the road about which she had already told the students in the school. This pleased Sh. Gyan Chand as it gave him a chance to initiate actual discussion about Intelligent Traffic Management System (ITMS) which uses Artificial Intelligence (AI) to manage the traffic. He outlined some basic features of different surveillance cameras, Vehicle Actuated Speed Signboards (VASS), and speed sensor machines in managing the traffic.

He had already planned a brief demonstration of a few gadgets and applications (apps). So, he made a wireless message to a patrolling party at a nearby location and gave them some instructions. As the bus reached the location, the students got a chance to observe the verification process of

various documents. They noticed that some people were showing the documents on digilocker app in their mobiles. Here, traffic Inspector Sh.Vijay expounded on the significance of digital documentation or digilocker and the expediency it offers in authenticating crucial documents like the Driving Licence (DL), Registration Certificate (RC), Vehicle Insurance and Pollution



Under Control Certificate (PUC). He informed that digital documents of a vehicle are as legally valid as physical documents are.

During this demonstrative session, they were introduced to a very special device known as also sensor or breath-analyzer which is used to detect alcohol content in suspected intoxicated drivers. Likewise, speed sensor was another technology that they saw for the first time. These sensors are used to detect any violation and to penalize the defaulters. Students observed that a few violators settled their challans online then and there. Others were given an electronic machine generated challan slip. Inspector Vijay told the students that even this slip is not required today because an SMS is automatically sent to the registered mobile number. This brief session gave them some ideas of various penalties or fines regarding violations of traffic rules. As they were about to resume their journey, a curious student asked, "Sir, what if a minor drives a vehicle and what consequences do parents or guardians face in such situations?" "Pertinent question" Sh. Gyan Chand replied. "Driving without a licence is a serious offense in India, especially for minors. The minors can be fined up to ₹25,000/along with imprisoned up to 3 years and their Registration Certificate (RC) can be cancelled for 12 months. Also they becomes ineligible to obtain learners' licence until the age of 25 years. Their parents or guardians can also face severe penalties. Similarly, a minor can be fined of ₹1,000/- and his licence can be cancelled for 3 months for driving a two-





wheeler without wearing helmet."

During the next part of their journey the students got occupied in discussing various offenses and penalties. Now, Sh. Gyan Chand wanted the students to understand the factors responsible for the road accidents. He said that though human negligence is a major factor yet it is not the only cause for such incidents. Factors like mechanical or technical errors; faulty road engineering, the stray animals, weather conditions and the type

of terrain also contribute to road accidents. Minor issues like faulty windscreen-wiper, inattentive driving on a bad road, high-beam driving, unnecessary modifying the vehicle or lights may lead to fatal consequences. Thus, he urged the students to act as ambassadors for sensitizing the masses to pay attention towards these issues.

The only remedy for the threat of animals, according to Sh. Gyan Chand is careful and cautious driving. Further, he also shared a few recent insights into wildlife conservation measures, including the construction of eco-bridges i.e., bridges constructed over the roads for the safe passage to animals inhabiting in the areas or jungles near highways. Of course madam Chetna had told them about the overhead paths in some cities like Shimla, Chandigarh and Delhi but bridges for the animals was something new for them. They finally reached their destination.

A warm welcome was given to them by the police department, followed by tea and snacks. In the Traffic Control Room, they witnessed a flurry of activity and a multitude of screens displaying live footage from surveillance cameras positioned at various locations across the city. The room buzzed with the sound of telephones ringing and officers issuing instructions. As the students continued to explore the Traffic Control Room, they were introduced to various technicians who were experts in the different aspects of ITMS.

The Control Room in-charge told them that most of the



modern vehicles including the e-bus they were travelling in come with Emergency Response Support System (ERSS). He drew their attention to the red button fixed near their seats. He elaborated that this red button is called panic button and is for the safety and security of passengers in any kind of emergency. When pressed for more than five seconds this sends signal through GPS to nearby police stations for help. He cautioned them not to press it unnecessarily as it may invite legal action. He informed them that Himachal Pradesh is a leading State in the country to make it mandatory to install Vehicle Location Tracking Device (VLTD) in all commercial vehicles.

Thereafter, the students were taken, in a group of three, to four locations in the Solan town for one hour volunteer service in traffic management. The remaining students visited the city hospital for first-aid training. They

were expected to share their experiences during the valedictory session. So, when they returned, they were too keen to share their experiences, the extended lunch session was full of laughter at their own silly mistakes like the confusion created by



wrong signals by some traffic control volunteers or some of them fainting merely at the sight of blood in the hospital. However, when finally, the in-charge pointed out the gravity of the consequences of these silly mistakes, the students truly acknowledged the importance of discipline and traffic rules.

The post-lunch session, on the contrary, was devoted to AI assisted ITMS. At first a technician told them about traffic lights. He said, "Each signal or light is programmed to adapt to changing traffic patterns throughout the day." Pointing to a complex network diagram displayed on a nearby



screen he continued, "We analyze data on vehicle volume, peak hours, and regular traffic patterns to fine-tune the signal timings." A student raised her hand, "What happens during emergencies or accidents?" The technician nodded, "During emergencies, we can override the system and manually control traffic flow to prioritize the movement of emergency vehicles."

As they moved to another area of the room, the students

observed a team of officers analysing data on computer terminals. One of the officers explained, "We use this data to identify traffic hotspots and p 1 a n infrastructure improvements



to ease congestion." A student noticed a map displaying real-time traffic movements across the city. "How do you handle accidents?", he asked. "We dispatch emergency response teams to the scene and coordinate with the police to clear the road as quickly as possible", the officer replied. He further added, "Our goal is to minimize disruption and keep the traffic moving safely." The officer also briefed them about a nationwide accident app portal Integrated Road Accident Database (iRAD).

The next officer informed that now, all services of transport department are available online and people don't need to rush to office either for vehicle related services like registration, fancy number, permit, licence related services like learner driving licence, test dates, renewal and any kind of certificates or settlement of challans. This initiative of the department not only saves our time and energy but also saves us from falling victim to any kind of frauds.

The meticulous planning and preparedness of the

department covered almost all the major issues concerning road safety and ITMS. During the valedictory, the students performed a skit and also showcased their school level activities through a brief power point presentation. The day concluded with the in-charge stressing the need for using public transport instead of personal vehicles since it is an easy way to minimize traffic and protect environment.

The students left the Traffic Control Station with an appreciation for the intricate coordination and the use of technology behind managing traffic. They pledged to develop a culture of road safety behaviour amongst themselves and their schoolmates. Now they had understood the rationale behind the formation and activities of their road safety club. They dispersed with a resolve to apply their newfound knowledge to implement and promote road safety measures.

(Developed by Curriculum Cell, SCERT, Himachal Pradesh)



Reading with insight

- 1. What was the objective behind the visit to the Traffic Control Chowki at Solan?
- 2. What innovative features does the electric buses have, and how are they different from the conventional buses?
- 3. Describe the importance of adhering to traffic rules as emphasised by Sh. Gyan Chand during the field trip.
- 4. What immersive learning experience did the students have upon arriving at the Traffic Control Room, and what key insights did they gain?
- 5. What are the different types of road markings, and why it is advisable not to cross certain markings?
- 6. What could have been the objective to take students for one hour volunteer service in traffic management and city hospital?
- 7. How did Sh. Gyan Chand's explanation of traffic rules help the students to realise the importance



- of responsible driving conduct?
- 8. What are the eco-bridges? How can they help in wildlife conservation?
- 9. Suggest any three strategies to create road safety awareness in the society.

Multiple Choice Questions

- i. What was the purpose of the field trip to the Traffic Control Room at Solan?
 - a) To explore wildlife conservation measures
 - b) To learn about road safety regulations and traffic management
 - c) To witness a pollution check drive
 - d) To engage in a debate about traffic violations
- ii. What did the students learn about e-vehicles from their field trip?
 - a) They use conventional fuel
 - b) They make a lot of noise
 - c) They are not safe
 - d) They are pollution free
- iii. What did the students learn about road markings during the journey?
 - a) The importance of crossing single continuous barrier lines
 - b) The permissible uses of mobile phones while driving
 - c) The significance of zebra crossings for pedestrian safety
 - d) The penalties for traffic violations related to road markings
- iv. What was the purpose of Sh. Gyan Chand's instructions about crossing the road safely?
 - a) To emphasize the importance of disciplined behavior while crossing the road
 - b) To highlight the dangers of stray animals on roads



- c) To introduce the students to traffic regulations
- d) To demonstrate the functioning of surveillance cameras
- v. What is the significance of the breath analyzers?
 - a) They are used by paramedics to assess the severity of injuries
 - b) They are utilized by traffic police to detect intoxicated drivers
 - c) They are part of the digital surveillance systems in the Traffic Control Room
 - d) They are installed in the electric bus for passenger safety
- vi. How do traffic signals regulate the flow of vehicles?
 - a) They always stay green
 - b) They stay red
 - c) They adapt to changing traffic patterns
 - d) They randomly change colors



For more information on road safety visit : roadsafety.hp.gov.in

